प्रवाह

77 साल बेमिसाल

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक

स्थापना : 18 अप्रैल 1948 • आगरा

संविधान में किसी भी तरह का हस्तक्षेप न हो, क्योंकि यही हमारी स्वतंत्रता का एकमात्र रक्षक है। -अब्राहम लिंकन

केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी ईएलआई योजना देश के वर्तमान रोजगार परिदृश्य की जरूरतों के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण एवं साहसिक है, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि इसे जमीनी स्तर पर कितनी कुशलता से अमल में लाया जाता है।

# अमल की चुनौती

ऐसे वक्त में जब भारत में युवा आबादी बड़ी संख्या में रोजगार के अवसरों की प्रतीक्षा कर रही है और देश के सम्मुख अपने जनसांख्यिकीय लाभांश को आर्थिक संपदा में बदलने की चुनौती भी है, तब केंद्र सरकार द्वारा करीब एक लाख करोड़ रुपयों की रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (ईएलआई) की घोषणा किया जाना, जिसका उद्देश्य देश भर में अगले दो वर्ष में साढ़े तीन करोड़ नए रोजगार पैदा करना है, न केवल ऐतिहासिक, बल्कि साहसिक कदम भी है। आगामी एक अगस्त से प्रभावी होने वाली इस प्रोत्साहन योजना के तहत पहली नौकरी पर केंद्र सरकार एक महीने का वेतन या अधिकतम 15 हजार रुपये तक दो किस्तों में देगी। दूसरी तरफ नई नौकरी देने वाले नियोक्ताओं, जो न्यूनतम छह महीने तक लगातार रोजगार देंगे, को भी दो वर्ष तक तीन हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। विनिर्माण क्षेत्र के लिए इसमें दो वर्ष का विस्तार भी किया जा सकता है। गौरतलब है कि इससे पहले उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को जो सफलता मिली थी, उसके अनुभव ने ईएलआई को मजबूत आधार दिया है। पीएलआई ने विनिर्माण क्षेत्र में बड़ी मात्रा में निवेश आकर्षित करके भारत को वैश्विक आपूर्ति शृंखला का मजबूत हिस्सा बनने में मदद की। ईएलआई उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए रोजगार आधारित विकास की बात करती है। नई योजना देश के रोजगार परिदृश्य के लिए कितनी जरूरी है, यह इससे ही पता चलता है कि सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण, 2024 के अनुसार, देश में 2030 तक हर वर्ष 78.5 लाख नई गैर-कृषिगत नौकरियों की जरूरत होगी, जबकि वर्तमान रोजगार निर्माण की दर इससे काफी कम है। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत विश्व की सर्वाधिक युवा आबादी वाला देश है और इस तरह की योजना उनके लिए फायदेमंद हो सकती है। यह योजना खास तौर पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) के लिए भी खासी लाभदायक हो सकती है, जो हमेशा ही पूंजी के संकट से जूझते रहते हैं। हालांकि, इस महत्वाकांक्षी योजना के सामने चुनौतियां भी कोई कम नहीं हैं। देश का श्रम बाजार अब भी असंगठित क्षेत्र पर अधिक निर्भर है, जहां से रोजगार के वास्तविक आंकड़े जुटाना आसान नहीं होगा। दूसरी बात यह कि साढ़े तीन करोड़ नौकरियां सृजित करने के लिए कुशल मानव संसाधन की भी जरूरत होगी। सरकार को स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रमों को और मजबूत बनाना होगा। यह साहसिक योजना भारत को 21वीं सदी की आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो सकती है, लेकिन यह इस पर निर्भर है कि इसे जमीनी स्तर पर कितनी कुशलता से लागू किया जाता है।

# इस बहस का कोई अर्थ नहीं

संविधान सभा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को प्रस्तावना में जगह देने को राजी नहीं थी, क्योंकि संविधान निर्माता भावी पीढ़ियों पर कोई सामाजिक-आर्थिक विचारधारा थोपना नहीं चाहते थे। ये शब्द प्रस्तावना में हों या न हों, इन्हें सांविधानिक आदर्श माना गया है। ऐसे में, इस पर चल रही बहस अर्थहीन ही अधिक लगती है।

तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाए जाने के 50 वर्ष पूरे होने के बाद संविधान की प्रस्तावना में शामिल 'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवादी' शब्दों को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। वर्ष 1976 में जब आपातकाल लागू था, तब संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में संशोधन करके उक्त दोनों शब्द जोड़े गए थे। उसी संशोधन में मौलिक कर्तव्यों पर एक अध्याय भी जोड़ा गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के महासचिव (सरकार्यवाह) दत्तात्रेय होसबाले ने संविधान की प्रस्तावना से 'धर्मनिरपेक्ष' और 'समाजवादी' शब्द को हटाए जाने के लिए बहस का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि ये दोनों शब्द भारत की सांस्कृतिक विरासत के साथ मेल नहीं खाते, क्योंकि भारत ने सदैव 'सर्वधर्म समभाव' में विश्वास किया है और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द की कोई आवश्यकता नहीं है।

शेखर अय्यर
वरिष्ठ पत्रकार

उन्होंने आगे यह भी कहा कि भारतीय संविधान के जनक माने जाने वाले डॉ. भीमराव आंबेडकर भी प्रस्तावना में इन दो शब्दों को शामिल करने के खिलाफ थे। लेकिन तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने इन दोनों शब्दों को शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन किया। होसबाले के इस बयान के बाद कई प्रमुख नेताओं-उपराष्ट्रपति जगदीप धनकड़ से लेकर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और जितेंद्र सिंह तक ने आपातकाल के समय किए गए प्रस्तावना में संशोधनों पर सवाल उठाए।

उल्लेखनीय है कि आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला दौर माना जाता है, जब मौलिक अधिकार निलंबित थे, और नागरिक स्वतंत्रता दांव पर थी। ऐसे समय में प्रस्तावना जैसे पवित्र हिस्से में बदलाव करना यकीनन संविधान निर्माताओं की मंशा के खिलाफ तो था ही, यह भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को कमतर करने का भी प्रयास था। लेकिन विपक्ष है कि हर मुद्दे की तरह इस बार भी सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा- 'आरएसएस का पर्दा हट चुका है...आरएसएस और भाजपा संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहते हैं, वे दलितों और गरीब तबकों के अधिकार छीनकर उन्हें गुलाम बनाना चाहते हैं।' राजद नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस संविधान को खत्म करने के अपने एजेंडे पर काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आरक्षण एवं संविधान को खत्म करना भाजपा का छिपा हुआ एजेंडा है।

चूंकि, बिहार में इसी साल अक्तूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, कांग्रेस और राजद के पास भाजपा को घेरने के मौके हैं। लेकिन तथ्य यह है कि संविधान सभा में इस बात पर बहस हुई थी कि क्या इन दोनों शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया जाए या नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉ. भीमराव आंबेडकर धर्मनिरपेक्षता के समर्थक थे, लेकिन वे पश्चिमी देशों के संविधानों की नकल करके 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द को प्रस्तावना में शामिल करने के खिलाफ थे। अंततः संविधान में 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द को शामिल नहीं किए जाने का फैसला लिया गया।

दरअसल, प्रस्तावना में 'समाजवादी' शब्द जोड़ने के लिए प्रोफेसर केटी शाह ने 15 नवंबर, 1948 को एक संशोधन पेश किया था, लेकिन मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉ. आंबेडकर ने इसे खारिज कर दिया था। डॉ. आंबेडकर ने कहा कि संविधान को ऐसे दस्तावेज के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, जो भावी पीढ़ियों पर कोई सामाजिक या आर्थिक विचारधारा थोपता हो। यहां तक कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द शामिल किए जाने से पहले ही, 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारती फैसले में 13 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि धर्मनिरपेक्षता संविधान की एक बुनियादी विशेषता है, जिसे खत्म नहीं किया जा सकता।

वर्ष 1980 में एक अन्य मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने आपातकाल के दौरान किए गए सांविधानिक संशोधनों पर बहस की। इसने माना कि 'समाजवाद' संविधान निर्माताओं के लिए एक सांविधानिक आदर्श था। इसने संविधान के भाग IV का हवाला दिया, जो राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांतों से संबंधित है, और जो गैर-प्रवर्तनीय नीति है, लेकिन राज्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है, जिसमें कई समाजवादी विचार हैं। लिहाजा, इन शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पर चल रही बहस अर्थहीन ही दिखती है।

वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने यह आरोप लगाया कि भाजपा संविधान को बदलना चाहती है। उन्होंने चुनाव में इसे एक बड़ा मुद्दा बना दिया। इसी तरह, बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्ष होसबाले के सुझाव को लेकर भाजपा को घेरना चाहता है। इसलिए भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने अपने सभी नेताओं को सावधान किया है कि इस समय इसे मुद्दा न बनाया जाए। हालांकि, संभावना है कि 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय इस मुद्दे पर कुछ किया जाए।

दिलचस्प बात है कि जब मोरारजी देसाई के नेतृत्व में वर्ष 1977 में जनता पार्टी की सरकार केंद्र की सत्ता में आई थी, तो उसने आपातकालीन युग के कई सांविधानिक संशोधनों को उलट दिया था। जनता पार्टी की सरकार ने 1978 में 44वां संविधान संशोधन किया, जिसके द्वारा नागरिक स्वतंत्रताएं बहाल की गईं, न्यायिक समीक्षा की शक्तियां बहाल की गईं तथा प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा की गई। लेकिन प्रस्तावना में किए गए परिवर्तनों और मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने को बरकरार रखा गया।

पिछले वर्ष यानी नवंबर, 2024 में तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने उक्त संशोधन को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया था। बेंच ने कहा कि 'इन शब्दों को व्यापक स्वीकृति मिल गई है, और इनके अर्थ 'हम भारत के लोग' बिना किसी संदेह के समझते हैं।' तो क्या इसका मतलब यह है कि होसबाले द्वारा उठाया गया मुद्दा शांत हो जाएगा? हालांकि, संभावना तो इस बात की जताई जा रही है कि आगे चलकर प्रस्तावना से किसी शब्द को हटाने के बजाय संविधान में 'अंत्योदय' और 'सर्वधर्म समभाव' जैसे शब्द जोड़े जा सकते हैं।

edit@amarujala.com

## जीवन धारा

विलियम जेम्स

जीवन का रहस्य यह है कि हमें हर पल में जीना है, पूरी ताकत से। जीवन एक प्रयोग है। सत्य का मार्ग अनुभव से होकर जाता है। हर दिन, हर क्षण नया है। डरो मत, गलतियां करो, सीखो और आगे बढ़ो।

# सबसे बड़ी ताकत हमारी इच्छाशक्ति है

*जीवन एक रहस्यमयी यात्रा है। यह एक ऐसा अनुभव है, जो हमें हर पल कुछ नया सिखाता है। जीवन का सत्य किताबों में नहीं, बल्कि अनुभव की भट्ठी में पकता है। हमारा जीवन केवल विचारों का खेल नहीं, बल्कि एक जीवंत, गतिशील प्रक्रिया है, जो हर सांस के साथ हमें नया आकार देती है। इससे ही जुड़ी खोज, जो हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी क्रांति भी है, यह है कि मनुष्य अपने मन के आंतरिक दृष्टिकोण को बदलकर अपने जीवन के बाहरी पहलुओं को बदल सकता है। जीवन में सफलता या असफलता क्षमता से अधिक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। यदि विश्वास हमें शक्ति देता है, यदि आशा हमें आगे बढ़ाती है, तो यह एक सच्चाई है। जीवन में हमें जोखिम उठाने पड़ते हैं।*

*विश्वास वह जोखिम है, जो हमें सत्य की ओर ले जाता है। बिना विश्वास के, बिना उस आंतरिक आग के, जो हमें अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है, हम जीवन की गहराई को कैसे समझ सकते हैं? जो व्यक्ति जोखिम नहीं लेता, वह कुछ हासिल नहीं करता। जीवन एक जुआ है, और हमें अपने दिल की आवाज पर भरोसा करना होगा। यदि तुम प्रेम में पड़ते हो, यदि तुम किसी सपने को पकड़ते हो, तो उसमें डूब जाओ। क्योंकि सत्य वही है, जो हमारे अनुभव को जीवंत बनाता है। क्या आपने कभी अपने मन की गहराइयों में झांका है? हमें जो होना चाहिए, उसकी तुलना में हम केवल आधे जागे हुए हैं। हम अपने शारीरिक और मानसिक संसाधनों का केवल एक छोटा-सा हिस्सा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। व्यापक रूप से कहें, तो व्यक्ति अपनी सीमाओं के भीतर ही रहता है। उसके पास कई तरह की शक्तियां हैं, जिनका वह आदतन इस्तेमाल करने में विफल रहता है। हमारा मन एक धारा है, विचारों की एक सतत धारा। यह धारा कभी रुकती नहीं, कभी स्थिर नहीं होती। हमारे दुख, हमारी खुशियां, हमारे सपने, सब इस धारा का हिस्सा हैं। लेकिन इस धारा में डूबने से डरो मत। कभी-कभी जीवन हमें कठिनाइयों में डाल देता है। लेकिन कठिनाइयां हमारे लिए अवसर हैं। जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया, तब भी एक छोटा-सा विश्वास, एक छोटी-सी आशा, हमें फिर से उठा सकती है।*

*हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी इच्छाशक्ति है। हमारी इच्छा, हमारा संकल्प, वह शक्ति है जो पहाड़ों को हिला सकती है। हमारी उम्मीदें, सपने और आकांक्षाएं जायज हैं। ये हमें हवा में, बादलों से ऊपर, तूफानों से ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम उन्हें ऐसा करने दें। इसलिए, कभी हार मत मानो। जीवन का रहस्य यह है कि हमें हर पल में जीना है, पूरी तरह से, पूरी ताकत से। जीवन एक प्रयोग है। सत्य का मार्ग अनुभव से होकर जाता है। हर दिन, हर क्षण, एक नया प्रयोग है। डरो मत, गलतियां करो, सीखो, और आगे बढ़ो। अवसर के स्वर्णिम क्षण का सदुपयोग करना तथा अपनी पहुंच में मौजूद अच्छाई को पकड़ना ही जीवन की महान कला है। जीवन का असली मूल्य इसकी अनिश्चितता में है, तो अपने जीवन को एक कला की तरह जियो, एक ऐसी कला जो हमारे अनुभवों से रंगी हो, हमारे विश्वासों से सजी हो।*

### सकारात्मक बने रहें

सूत्र

*कभी-कभी जीवन हमें कठिनाइयों में डाल देता है, लेकिन हमें उन्हें एक अवसर, एक सीख के रूप में देखना चाहिए। जीवन में सफलता या असफलता क्षमता से अधिक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। इसलिए कोई भी स्थिति हो हमेशा सकारात्मक सोच रखें, और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें।*

## दूसरा पहलू

बेल्जियम की राजधानी में अधिकतम दस मिनट की दूरी पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल से लेकर सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

# दुनिया का पहला 10 मिनट का शहर

**बेल्जियम** की राजधानी ब्रुसेल्स '10-मिनट सिटी' के अनूठे शहरी मॉडल को अपनाने वाला दुनिया का पहला शहर है। इस अवधारणा के अंतर्गत शहरी जीवन के लिए जरूरी तमाम सुविधाएं और सेवाएं महज 10 मिनट की पैदल दूरी पर उपलब्ध होंगी। इसका ध्येय, 2050 तक ब्रुसेल्स को एक ऐसा टिकाऊ शहर बनाना है, जो सुगम शहरी जीवन और सतत विकास का आदर्श प्रस्तुत करे।

सुधीर कुमार

ब्रुसेल्स की यह पहल '15-मिनट सिटी' की उस संकल्पना से प्रेरित है, जिसे पेरिस, मेलबर्न, शंघाई जैसे शहर साकार करने में सफल रहे हैं।

ब्रुसेल्स की यह पहल '15-मिनट सिटी' की उस संकल्पना से प्रेरित है, जिसे पेरिस, मेलबर्न और शंघाई जैसे शहर साकार करने में कामयाब रहे हैं। मूल अवधारणा को सर्वप्रथम 2016 में शिक्षाविद और शहरी योजनाकार प्रो. कार्लोस मोरेनो द्वारा विकसित किया गया था। वर्ष 2024 में इसी नाम से आई अपनी पुस्तक के जरिये उन्होंने शहरों में समय की बचत और पर्यावरण संरक्षण के लिए '15-मिनट के शहर' की रूपरेखा को अपनाने की वकालत की थी। इससे उनका तात्पर्य शहरीकरण के उस नए प्रतिरूप से था, जहां हरेक निवासी के घर से केवल 15 मिनट की पैदल दूरी पर स्कूल, अस्पताल, दुकान और कार्यालय आदि की उपलब्धता हो। इसके बाद दुनिया के कई शहरों की परंपरागत भूमिका को बदलकर उसे टिकाऊ बनाने का प्रयास किया गया। अब ब्रुसेल्स 'निकटता के शहर' की परिकल्पना को 10 मिनट की दूरी में रूपांतरित करने में जुटा है। सोचिए, एक ओर जहां भारत के कुछ बड़े शहरों में कंपनियां उपभोक्ताओं तक 10 मिनट में सामान पहुंचाने की होड़ में लगी हैं, वहीं ब्रुसेल्स इस दिशा में प्रयासरत है कि उसके नागरिकों को अपनी सभी जरूरतें 10 मिनट की पैदल दूरी पर ही उपलब्ध हो जाएं। इस मॉडल में न तो उन्हें 'डिलीवरी चार्ज' देना पड़ेगा, न ही 'गिग वर्कर्स' की जान जोखिम में पड़ेगी। ऐसे में 10 मिनट की दूरी पर 70 से भी अधिक सुविधाओं और सेवाओं को उपलब्ध कराना वास्तव में एक दूरदर्शी और क्रांतिकारी पहल है।

इस मॉडल में लोगों को न 'डिलीवरी चार्ज' देना होगा, न ही 'गिग वर्कर्स' की जान जोखिम में पड़ेगी। 10 मिनट की दूरी पर 70 से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

आम तौर पर शहर सुख-सुविधाओं की सुलभता के बल पर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यातायात जाम और प्रदूषण के कारण शहरवासियों को इन्हीं सुविधाओं तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे में अगर जरूरतें दस मिनट की दूरी पर ही पूरी हो जाएं, तो न केवल निजी वाहनों पर निर्भरता घटेगी, बल्कि प्रदूषण में भी उल्लेखनीय कमी आएगी। यह बदलाव नागरिकों की दिनचर्या को सरल बनाने के साथ-साथ पर्यावरण को भी नया जीवन देगा। बहरहाल, 10 या 15 मिनट के शहर जैसी अवधारणा का मूल मकसद लोगों के जीवन को सुविधाजनक बनाने के साथ शहरी पर्यावरण को मुस्कराने का अवसर भी देना है।

## आंकड़े

### विदेशी मुद्रा भंडार

भारत में बीते दो दशकों में विदेशी मुद्रा भंडार में भारी वृद्धि हुई है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, यह भंडार 699 अरब डॉलर पहुंच गया है।

| | |
|---|---|
| जून 2025 | 699.00 |
| जून 2021 | 608.99 |
| जून 2014 | 314.92 |
| जून 2012 | 289.39 |
| जून 2005 | 139.56 |

आंकड़े विदेशी मुद्रा भंडार के अरब डॉलर में | स्रोत : RBI

उद्धव जी भगवान श्रीकृष्ण का संदेश सुनाने के लिए ब्रज गए, लेकिन वहां के लोगों का प्रेमभाव देखकर वह अपना समस्त ज्ञान भूल गए।

# गोपियों का प्रेमभाव

**भगवान** श्रीकृष्ण ने एकांत में अपने प्रिय सखा उद्धव जी को बुलाकर कहा, 'उद्धव! ब्रज की गोपियां मेरे वियोग में व्याकुल होंगी। तुम जाकर उन्हें मेरा संदेश सुनाओ कि मैं उनसे अलग नहीं हूं, बल्कि मैं तो सदा उनके साथ ही हूं।' उद्धव जी आज्ञा पाकर नंद-ब्रज पहुंचे। वहां चारों ओर से ब्रजवासियों ने उन्हें घेर लिया और वे भांति-भांति के प्रश्न करने लगे। कोई आंसू बहाने लगा। उद्धव जी ने सबको यथायोग्य उत्तर दिए और धैर्य बंधाया।

उन्होंने गोपियों को अपना ज्ञान-संदेश सुनाया। उन्होंने कहा, 'भगवान वासुदेव किसी एक स्थान पर नहीं हैं, वे तो सर्वत्र व्यापक हैं। तुम उनमें भगवत-बुद्धि करो और सर्वत्र उन्हें देखो।' गोपियों ने रोते-रोते कहा, 'उद्धव जी, तुम ठीक कहते हो, किंतु हम गंवार वनवासिनियां इस गूढ़ ज्ञान को भला कैसे समझ सकती हैं? हम तो उन श्यामसुंदर की भोली-भाली सूरत पर ही अनुरक्त हैं। उनकी काली-काली घुंघराली अलकें, वह बंसी की मधुर ध्वनि हमें हरदम उनकी ओर खींचती है। वृंदावन की समस्त भूमि पर उनकी अनंत स्मृतियां अंकित हैं। यहां तिल भर भी जमीन खाली नहीं है, जहां उनकी मधुर स्मृति न हो। हम इन यमुना-पुलिन, वन, पर्वत, वृक्षों और लताओं में उन श्यामसुंदर को देखती हैं। इन्हें देखकर उनकी स्मृति मूर्तिमान होकर हमारे हृदय में नाचती है। गोपियों का ऐसा प्रेमभाव देखकर उद्धव जी अपना समस्त ज्ञान भूल गए।

अंतर्यात्रा
संकलित

## अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 03 जुलाई, 1951

### सीमाओं पर होने वाले हमले बर्दाश्त नहीं होंगे

सीमाओं पर होने वाले हमले सहन न होंगे

सेनाध्यक्ष जनरल करिअप्पा ने कहा कि ऐसे उपाय करूंगा, जिससे फिर कभी भी पाकिस्तानी हमलावर लुक-छिपकर हमला न कर सकें। उन्होंने आगे कहा कि सीमाओं पर होने वाले हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।

# तकनीक बन रही हर नागरिक की सच्ची साथी

डिजिटल इंडिया की जनधन-आधार-मोबाइल (जैम) ट्रिनिटी की बदौलत हर आंख से आंसू पोंछना मुमकिन हुआ है।

अश्विनी वैष्णव, रेल, सूचना एवं प्रसारण और आईटी मंत्री

डिजिटल

अभी कुछ ही महीने पहले मैं दिल्ली दौरे पर आई यूरोप की एक वरिष्ठ मंत्री से मिला, जो भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति को देखकर आश्चर्यचकित थीं। उत्सुकतावश उन्होंने पूछ ही लिया कि भाषाई और भौगोलिक विविधता से भरे भारत ने यह बड़ी उपलब्धि कैसे हासिल की? मैंने उन्हें 500 रुपये का नोट दिखाया। उस पर 'पांच सौ रुपये' 17 भाषाओं में लिखा होता है। यह एक साधारण, मगर शक्तिशाली प्रतीक है, भारत की विविधता का। प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में इस भाषा और संस्कृति की विविधता को तकनीक के जरिये जोड़ा गया है और आज यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन गई है।

प्रधानमंत्री मोदी की दस वर्ष पुरानी स्पष्ट सोच से इस यात्रा की शुरुआत हुई कि एक ऐसा डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, जो पूरे देश की सेवा करे, न कि कुछ गिने-चुने लोगों की। यहीं से इंडिया स्टैक की नींव पड़ी, जिसे आज पूरी दुनिया सराह रही है। इन सबके केंद्र में दुनिया की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली आधार है। यह देश के 140 करोड़ लोगों को एक अनूठी डिजिटल पहचान देता है। हर दिन नौ करोड़ से ज्यादा आधार सत्यापन होने से लोगों तक जरूरी सेवाएं तेजी और भरोसे के साथ पहुंच रही हैं।

डिजीलॉकर ने तो शासन और जनसेवाओं को बहुत आसान बना दिया है। अब ड्राइविंग लाइसेंस, शैक्षिक प्रमाणपत्र सहित जरूरी कागजात सिर्फ एक क्लिक पर उपलब्ध हैं। आज भारत में लगभग 90 फीसदी लोग मोबाइल का उपयोग करते हैं। मोबाइल ने तकनीक की ताकत को सीधे जनता के हाथों में पहुंचाया है। जी 20 सम्मेलन में भारत ने डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) को बढ़ावा दिया और एक वैश्विक डीपीआई भंडार (ग्लोबल डिपॉजिटरी) बनाने का प्रस्ताव रखा। यूपीआई अब तक सात देशों में शुरू हो चुका है, और कई अन्य देश भी इसे अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। आज देश में 55 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले गए हैं, तो डीबीटी के जरिये सीधे जनता की जेब में 44 लाख करोड़ रुपये भी भेजे गए। 10 करोड़ से ज्यादा एलपीजी कनेक्शन और स्वास्थ्य लाभ सीधे बांटे गए। यह सब डिजिटल इंडिया की जनधन-आधार-मोबाइल (जैम) ट्रिनिटी की बदौलत संभव हुआ, जिसे हर आंख से आंसू पोंछने वाली योजना के रूप में जाना जाता है।

माईजीओवी (MyGov) व उमंग जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म नागरिकों को 2000 से अधिक सरकारी सेवाओं से सीधे जोड़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म ई-संजीवनी ने 38 करोड़ डॉक्टरों से परामर्श की सुविधा प्रदान की है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का लक्ष्य है कि हर नागरिक की एक अनूठी डिजिटल स्वास्थ्य आईडी तैयार हो। अब तक 79 करोड़ से अधिक हेल्थ आईडी, छह लाख से अधिक डॉक्टर और हेल्थ वर्कर और 60 करोड़ से ज्यादा हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम से जुड़ चुके हैं। दीक्षा, स्वयं और पीएम ई विद्या जैसे डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म अब लाखों छात्रों तक उनकी स्थानीय भाषाओं में पहुंच रहे हैं। स्किल इंडिया डिजिटल हब और फ्यूचर स्किल्स प्राइम हमारे युवाओं को एआई, साइबर सुरक्षा और ब्लॉकचेन में कौशल प्रदान कर रहे हैं। किसान मौसम संबंधी अपडेट, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और बाजार मूल्य डिजिटल रूप से प्राप्त कर रहे हैं। भारत के बढ़ते डिजिटलीकरण के साथ ही साइबर सुरक्षा ढांचे को भी मजबूत किया गया है। सीईआरटी-इन, 1930 साइबर क्राइम हेल्पलाइन और डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 जैसी पहलें यूजर्स की प्राइवेसी और डाटा सुरक्षा के प्रति भारत के पक्के इरादों को दिखाती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसका एक मजबूत उदाहरण देखा गया, जब हमारी एजेंसियों ने एक साथ हो रहे कई साइबर हमलों को सफलतापूर्वक रोक लिया।

भारत आज 1.8 लाख से ज्यादा स्टार्टअप और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न के साथ दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। भारत अब डिजिटल पब्लिक गुड्स का निर्यात कर रहा है। अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देश अब इंडिया स्टैक मॉडल अपना रहे हैं। आज भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 12 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंच गया है। भारत अब मोबाइल फोन का निर्यात भी करने लगा है। इस तेजी से बढ़ते उत्पादन को मजबूत टेलीकॉम ढांचे का भी पूरा सहयोग मिला है। कई वर्षों बाद बीएसएनएल फिर से मुनाफे में आ गया है। आज 4जी नेटवर्क लगभग पूरे देश में उपलब्ध है, और भारत ने दुनिया का सबसे तेज 5जी रोलआउट करके रिकॉर्ड बनाया है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन अब भारत में बने चिप के सपने को हकीकत में बदल रहा है।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम ने अपने 10 साल पूरे कर लिए हैं। हमारा लक्ष्य बिल्कुल साफ है-डिजिटल सेवाओं को आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाना, लोगों में डिजिटल साक्षरता बढ़ाना, और सभी के लिए साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना और अंत में, हमारी कोशिश है कि तकनीक हर नागरिक की सच्ची साथी बने।

## चीन का प्रयास

### सार्क का विकल्प

**चीन के प्रयास** से सार्क के विकल्प का विचार जोर पकड़ रहा है। ऐसे में भारत को अपना क्षेत्रीय शक्ति का दर्जा बनाए रखने के प्रति सतर्क होना होगा। चीन लंबे समय से दक्षिण एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास कर रहा है क्योंकि यह क्षेत्र उसकी रणनीतिक व आर्थिक आकांक्षाओं के अनुरूप है। अब उसने 'सार्क' की तरह दक्षिण एशियाई देशों का एक समूह बनाने का प्रयास शुरू किया है। हाल ही में कुनमिंग में चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक में दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग के भविष्य पर चर्चाओं को बल मिला। बताया जाता है कि ये तीन देश नए क्षेत्रीय संगठन के गठन पर विचार कर रहे हैं जो लंबे समय से गतिरोध का शिकार 'दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन'-सार्क या दक्षेस का विकल्प होगा। हालांकि, बांग्लादेश ने आधिकारिक रूप से कुनमिंग बैठक के राजनीतिक प्रभावों पर ज्यादा जोर नहीं दिया है, पर इसका समय और संदर्भ ज्यादा महत्वाकांक्षी एजेंडे का संकेत करते हैं। 1985 में गठित सार्क में आठ दक्षिण एशियाई देश-अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। लेकिन पिछले दशक से यह संगठन लगभग निष्क्रिय पड़ा हुआ है। सार्क का अंतिम शिखर सम्मेलन काठमांडू में 2014 में हुआ था। इसके बाद से भारत-पाकिस्तान तनाव तथा व्यापक भू-राजनीतिक ध्रुवीकरणों के चलते सार्क ठंडे बस्ते में पड़ा रहा जिससे क्षेत्रीय राजनय में खाली स्थान पैदा हुआ। चीन ने लगातार 'बेल्ट एंड रोड इनीशियेटिव'-बीआरआई, ढांचागत निवेशों तथा रणनीतिक साझेदारियों के माध्यम से दक्षिण एशिया में अपना स्थान मजबूत किया है। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे-सीपीईसी के माध्यम से पाकिस्तान से उसके संबंध मजबूत हुए हैं और इससे दोनों देशों ने भारत के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिए एक नया बहुपक्षीय मंच बनाने की दिशा में पहल की है। पाकिस्तान के लिए खासकर चीन को शामिल करने वाला यह नया समूह इस्लामाबाद का क्षेत्र में कुछ राजनयिक महत्व बहाल करने में सहायक हो सकता है।

लेकिन इसका गठन बहुत आसान नहीं है। बांग्लादेश द्वारा आधिकारिक रूप से गठबंधन बनाने का प्रयास खारिज करने का अर्थ उसका संवेदनशील संतुलनकारी दृष्टिकोण है। हालांकि, ढाका के चीन के साथ मजबूत आर्थिक संबंध हैं और पाकिस्तान से भी उसके ऐतिहासिक संबंध हैं, पर भारत से उसकी राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक नजदीकी को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही बांग्लादेश की किसी चीन-पाकिस्तान धुरी में शामिल होने की अनिच्छा संकेत करती है कि वह अपनी स्वायत्तता तथा रणनीतिक संतुलन को महत्व देता है। भारत के लिए प्रस्तावित समूह उसकी क्षेत्रीय प्रभुत्वशाली शक्ति को सीधी चुनौती है। बाहरी शक्ति-चीन द्वारा एजेंडा तय करने वाले किसी समानान्तर क्षेत्रीय समूह से दक्षिण एशिया में भारतीय प्रभुत्व को नुकसान पहुंच सकता है। यदि निवेश वादों से आकर्षित हो कर श्रीलंका, नेपाल और मालदीव जैसे देश इसमें शामिल होते हैं तो भारत का अपने पड़ोस में अलगाव बढ़ सकता है। लेकिन भारत का इस क्षेत्र में काफी आर्थिक प्रभाव, ऐतिहासिक संबंध तथा साफ्ट पावर है। इसके साथ ही चीन की कर्ज-जाल राजनय के विपरीत प्रभावों तथा अनेक देशों में अपनी संप्रभुता को लेकर पैदा चिन्ता का भी महत्व है। चीन के इस प्रयास को देखते हुए समय की आवश्यकता है कि भारत सार्क को पुनर्जीवित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए और इसके सदस्य देशों से द्विपक्षीय स्तर पर बातचीत करे। भारत को बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और मालदीव के साथ अपने आर्थिक व ढांचागत साझेदारी संबंधों को और मजबूत करना चाहिए। चीन की तुलना में भारत दक्षिण एशिया का नेतृत्व करने की बेहतर स्थिति में है क्योंकि दक्षिण एशिया में उसे ऐतिहासिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से लाभ प्राप्त है। भले ही सार्क अनेक कारणों से निष्क्रिय या निष्प्रभावी हो गया हो, पर दक्षिण एशिया में एक क्षेत्रीय संगठन की आवश्यकता पहले की तुलना में अधिक महसूस की जा रही है। भारत को इस अवसर का लाभ उठाते हुए दक्षिण एशिया में अपने प्राकृतिक नेतृत्व की भूमिका पर पुनः जोर देना चाहिए।

# भारत में जेंडर समानता

भारत में जेंडर समानता के लिए संघर्ष जारी है। शिक्षा, स्वास्थ्य व आर्थिक सहभागिता में सुधार के बावजूद कई क्षेत्रों खासकर राजनीतिक प्रतिनिधित्व में अंतर बना हुआ है।

हेमांगी सिन्हा

साक्षी चौधरी

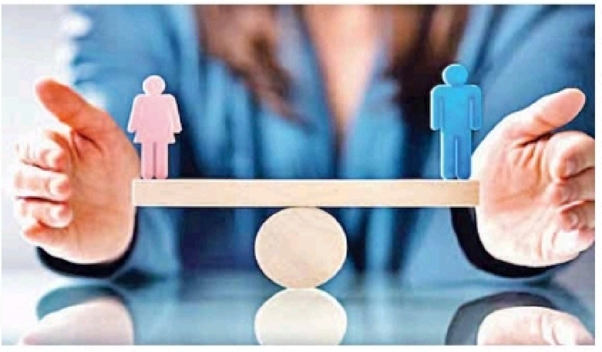

वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 'ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, 2025' में भारत की स्थिति स्पष्ट की गई है। भारत में जेंडर समानता रेटिंग में सुधार हुआ है और यह 64.1 से बढ़ कर 64.4 प्रतिशत हो गया है, पर पूरी दुनिया के दृष्टिकोण से भारत की वैश्विक रेटिंग 148 देशों में 129 वें स्थान से थोड़ा गिर कर 131 वें स्थान पर आ गई है। हालांकि, सुधारों की गुणवत्ता तथा टिकाऊपन पर भी कुछ सवाल उठते हैं। क्या भारत जेंडर समानता की दिशा में आगे बढ़ रहा है अथवा यह सुधार अन्य क्षेत्रों से प्रभावित हो रहा है जहां विकास तुलनात्मक रूप से धीमा है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जेंडर समानता को चार अलग-अलग क्षेत्रों में मापता है। इनमें राजनीतिक सशक्तीकरण, स्वास्थ्य एवं जीवन, शैक्षणिक उपलब्धियां तथा आर्थिक सहभागिता एवं अवसर शामिल हैं। इनमें से तीन श्रेणियों में भारत का स्कोर स्थिर बना हुआ है अथवा इसमें सुधार हुआ है। लेकिन इनमें कुल प्रदर्शन पर राजनीतिक सशक्तीकरण में कमी का काफी प्रभाव पड़ता है।

भारत ने अनेक क्षेत्रों में मापन योग्य प्रगति की है जिनमें आर्थिक सहभागिता एवं संभावना शामिल है। इनमें से एक क्षेत्र आमदनी में संभावित वृद्धि है जो 28.6 से बढ़ कर 29.9 प्रतिशत हो गई है। यह वृद्धि 0.9 प्रतिशत की है। भारत में परंपरागत रूप से जेंडर-आधारित आर्थिक असमानता को देखते हुए यह वृद्धि बहुत अधिक है। भारत में वर्तमान समय में महिलायें श्रमशक्ति में बेहतर सहभागिता कर रही हैं और उनको अब तक की सबसे अच्छी कीमत मिल रही है, उनकी सहभागिता 45.9 प्रतिशत है। इस स्थायित्व के बावजूद वाणिज्यिक उद्यमों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिनमें अनौपचारिकता, वेतन असमानता तथा सामाजिक गारंटी का अभाव शामिल है।

विकास के कुछ अन्य क्षेत्रों में काफी उपलब्धि प्राप्त हुई है। भारत की रेटिंग का विस्तार 97.1 प्रतिशत तक हुआ है जिससे साक्षरता मेंलगभग समानता तथा महिलाओं की तृतीयक स्तर की शिक्षा में बेहतर उपस्थिति शामिल है। सेकेंड्री स्तर पर दाखिले के आंकड़े और उत्साहवर्धक हैं तथा महिलाओं की सकल दाखिला दर ने लड़कों की दर को थोड़ा पीछे छोड़ दिया है। लेकिन इसके बावजूद शैक्षणिक उपलब्धियों तथा पेशेवर संभावनाओं में जेंडर गैप काफी है।

स्वास्थ्य एवं जीवन में भारत का समानता स्कोर सुधरा है जिसका कारण लंबे समय तक स्वस्थ जीवन प्रत्याशा तथा जन्म पर बेहतर लिंगानुपात है।

मातृ स्वास्थ्य पहलों के साथ ही 'आयुष्मान भारत' जैसे कार्यक्रमों ने पिछले दस साल में मातृ मृत्यु में 50 प्रतिशत तक कमी लाने में सफलता प्राप्त की है। लेकिन स्वास्थ्य, आर्थिक और शैक्षणिक आंकड़ों में सुधार के बावजूद राजनीतिक सशक्तीकरण में गिरावट से समग्र रूप से रैंकिंग गिरी है। कैबिनेट पदों पर महिलाओं की संख्या 6.5 प्रतिशत से घट कर 5.6 प्रतिशत रह गई है, जबकि संसद में उनका प्रतिनिधित्व 14.7 प्रतिशत से घट कर 13.8 प्रतिशत रह गया है। यह गिरावट एक दीर्घकालीन गिरावट के रूप में सामने आई है जिसकी शुरुआत 2023 में हुई थी। महिला आरक्षण कानून, 2023 में राज्य विधानसभाओं और संसद में एक तिहाई महिला आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसे देखते हुए महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण में कमी चिन्ता का विषय है। लेकिन राष्ट्रीय जनगणना तथा परिसीमन की वर्तमान समय में जारी प्रक्रियाओं को देखते हुए यह कानून 2029 के आम चुनाव के पहले लागू नहीं होगा। इस बीच बहुत कम राजनीतिक पार्टियों ने महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का प्रयास किया है और वे संवैधानिक रूप से ऐसा करने के लिए बाध्य भी नहीं हैं। भारत में महिलायें लंबे समय से राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष कर रही हैं। महिला आरक्षण विधेयक ने अनेक संसदीय बाधाओं को पार करने में तीस साल से अधिक समय लगाया। इस विलंब से भारतीय सरकारी संस्थानों में लंबे समय से जारी महिला नेतृत्व का विरोध और मजबूत हुआ जिसके पीछे राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी स्पष्ट रूप से दिखती है।

दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों तथा 'ब्रिक्स' देशों से तुलना करने पर भारत की तुलनात्मक गिरावट और स्पष्ट हो जाती है। मुख्यतः मजबूत राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा ज्यादा सफल जमीनी सशक्तीकरण पहलों के कारण बांग्लादेश और नेपाल जैसे देशों ने जेंडर समानता रैंकिंगों में भारत से बेहतर प्रदर्शन किया है। इस क्षेत्रीय दृष्टिकोण से देखने पर भारत का प्रदर्शन खासतौर से कमजोर दिखता है। इससे तत्काल नीतिगत परिवर्तनों की आवश्यकता उजागर होती है। भारत का रोजगार के मोर्चे पर भी प्रदर्शन अच्छा नहीं है, जबकि शिक्षा में बेहतर अवसरों से ज्यादा सिनर्जी दिखनी चाहिए। भारत के श्रमबल में महिलायें 20 प्रतिशत से कम हैं और उनका जीडीपी में योगदान भी कम है, जबकि शिक्षा और स्नातक में उनका प्रदर्शन अच्छा है। आक्सफैम, इंडिया के 2020 के शोध से पता चलता है कि महिलाओं का बिना भुगतान वाला श्रम हर साल अर्थव्यवस्था में 19 लाख करोड़ रुपये का योगदान करता है, जबकि परंपरागत आर्थिक आंकड़ों में इसे कोई स्थान ही नहीं मिलता है।

हालांकि, भारत ने आर्थिक समावेशन, स्वास्थ्य एवं शिक्षा में जेंडर समानता प्राप्त करने की दिशा में काफी प्रगति की है, पर व्यवस्थागत बाधायें महिलाओं को समाज में पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करने की राह में अभी रोड़ा अटका रही हैं। भारत को महत्वपूर्ण ढांचागत सरोकार संबोधित करने के लिए समग्र, समावेशी व दीर्घकालीन कदम उठाने होंगे। छोटी-छोटी उपलब्धियों से क्रांतिकारी प्रभाव प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है। महिला आरक्षण कानून, 2023 को पास करने में बहुत विलंब हुआ और यह एक सबसे बड़ी कमी रही है। 2029 के पहले राज्य विधानसभाओं और संसद में महिलाओं को एक तिहाई सीटें मिलना लगभग असंभव लग रहा है। प्रतिनिधित्व के साथ ही इस विलंब के कारण महिलाओं को नेतृत्वकारी भूमिकाओं में आने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है जिनमें संसाधनों का आबंटन तथा नीतियों का निर्माण शामिल है। इसके साथ ही, हालांकि, श्रम बाजार में महिलाओं की सहभागिता अब तक के सबसे ऊंचे 45.9 प्रतिशत पर है, पर यह अनेक मुद्दों को छिपा लेता है जिनमें वेतन असमानता, रोजगार की गुणवत्ता, असंगठित क्षेत्र में उनकी प्रमुखता तथा सामाजिक सुरक्षा का अभाव शामिल हैं। बहुसंख्य कामगार महिलाओं को अब भी कम वेतन, जोखिम भरे रोजगारों तथा विकास के बहुत कम अवसरों का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार जहां 'जन धन योजना' तथा 'मुद्रा' कर्जों ने वित्तीय समावेशन को बेहतर बनाया है, पर अभी इनके व्यापक प्रभाव सामने आना बाकी है। विश्व बैंक के 'फिनडेक्स' सर्वेक्षण के अनुसार एक तिहाई महिलाओं के खाते निष्क्रिय बने हुए हैं। इस प्रकार बैंक खाते होने के बावजूद महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता तथा निर्णय-प्रक्रिया में कम सहभागिता जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है।

पितृसत्तात्मक परंपराओं के कारण अब भी महिलाओं की स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता तथा सहभागिता प्रभावित होती है। जेंडर भूमिकायें छोटी आयु से ही थोप दी जाती हैं और उनका प्रभाव वित्तीय निर्णयों, कॅरियर पसंदों तथा नेतृत्व की इच्छा पर पड़ता है। जल्दी विवाह अब भी आम है और भारत के अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों को अब भी बोझ माना जाता है जिससे स्कूल व कार्यस्थल पर उनकी प्रगति प्रभावित होती है।

महानगरीय परिवेशों में भी महिलाओं को अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है जहां उनको या तो नेतृत्वकारी पदों से बाहर रखा जाता है या अस्थाई काम दिए जाते हैं। 'मैकिनसे' के विश्लेषण के अनुसार जेंडर रोजगार कमी दूर करने से भारत के जीडीपी में 2025 तक 770 बिलियन डालर का योगदान हो सकता था, लेकिन यह वादा अभी पूरा होने से बहुत दूर है। इन स्थितियों को देखते हुए भारत को एक समग्र तथा पूरे समाज पर लागू होने वाली रणनीति बनाने की आवश्यकता है ताकि सच्ची जेंडर समानता प्राप्त हो सके। महिलाओं को डिजिटल एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण देने वाली कौशल विकास पहलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह कदम खासकर तेजी से प्रगति करने वाले उद्योगों जैसे तकनीक, स्वच्छ ऊर्जा व लाजिस्टिक्स में जरूरी है। मंत्रालयों व राज्य सरकारों को जेंडर-मांगों के आधार पर जेंडर-संवेदनशील बजट बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। भारत को 5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था तथा प्रमुख विश्व शक्ति बनाने के लिए जेंडर-समानता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

# समग्र शिक्षा का नया मॉडल

"बदलते समय के साथ, शिक्षकों को यह बात समझ में आ गई कि 21वीं सदी में कदम रखने वाले छात्रों के लिए सिर्फ़ सैद्धांतिक शिक्षा ही पर्याप्त नहीं होगी।"

समनदीप चड्ढा
(लेखिका, शिक्षाविद हैं)

भारतीय छात्र अपनी रटने की क्षमता और सैद्धांतिक पाठों को समझने की अपनी प्रतिभा के लिए जाने जाते थे। शिक्षा प्रणाली ने ऐसे छात्रों को अच्छे अंक देकर आगे बढ़ाया। हालांकि, बदलते समय के साथ, शिक्षकों को यह बात समझ में आ गई कि 21वीं सदी में कदम रखने वाले छात्रों के लिए सिर्फ़ सैद्धांतिक शिक्षा ही पर्याप्त नहीं होगी, जो कि पहले से कहीं ज्यादा उन्नत है। अगली पीढ़ी को समग्र शिक्षा द्वारा सशक्त बनाने की जरूरत है, जहां वे न केवल मुख्य विषयों के बारे में जानें, बल्कि सॉफ्ट स्किल और सहानुभूति भी सीखें और एक ऐसा कौशल विकसित करें जिसकी भविष्य में जरूरत होगी। इस प्रकार, छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करने के लिए स्कूलों द्वारा कई पाठ्यक्रम शुरू किए गए, जो कि पेशेवर दुनिया में कदम रखने पर काफी अलग होंगे। दिलचस्प बात यह है कि इंटरनेशनल बैकलॉरिएट या आईबी प्रोग्राम एक ऐसा पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं जो जिज्ञासा पर आधारित होता है। यह भविष्य के लिए डिजाइन किया गया एक कोर्स है और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी विशेष कार्यक्रम की भी आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ, शिक्षक सिर्फ़ सैद्धांतिक जानकारी ही नहीं बल्कि ज्ञान भी साझा करते हैं; छात्र भी विषय की बेहतर स्पष्टता के लिए अपना शोध करते हैं। यह एक सार्थक संबंध की ओर ले जाता है, जहाँ दोनों जटिल विषयों को सीखने और सिखाने के लिए वास्तविक दुनिया के संदर्भों से सीखते हैं। यह गहन भागीदारी केवल अनुभवात्मक सीखने के माध्यम से ही संभव है, जहाँ छात्र व्यावहारिक गतिविधियों, फील्ड विजिट और रोल प्ले के माध्यम से सीखते हैं और इस प्रकार अवधारणाओं को इस तरह से समझते हैं कि वे स्थायी यादें बनाते हैं। ऐसी कक्षाओं के लिए एक कठोर पाठ्यक्रम बनाना मुश्किल है क्योंकि शिक्षक को छात्रों

के पास मौजूद ज्ञान के साथ एक प्रवाह बनाना होगा। जबकि छात्रों की उम्र, विकासात्मक स्तर, जोखिम, आईक्यू और ईक्यू यहाँ एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, हर कक्षा में वे कुशलता से पाठ्यक्रम को नेविगेट करते हैं और ज्ञान को उन तरीकों से लागू करते हैं जिनके बारे में पहले कभी नहीं सोचा गया था। आईबी की पूछताछ-आधारित शिक्षण शिक्षाशास्त्र शिक्षार्थियों को एक ऐसी दुनिया में सही दिशा में विकसित होने के लिए सशक्त बनाती है जो हर दिन गतिशील और बदलती रहती है।

शिक्षक उनके लंगर बन सकते हैं और छात्रों को स्मार्ट तरीके से सोचने में मदद कर सकते हैं। छात्रों को समस्याओं के साथ चुनौती देकर और समस्याओं का विश्लेषण और समाधान करने में उनकी मदद करके ऐसा किया जा सकता है। छात्रों को समस्या का समाधान कैसे करें, यह दिखाने के बजाय, यहाँ ध्यान इस बात पर है कि छात्र स्वयं उस समस्या का समाधान खोजने की दिशा में काम करें। वास्तविक दुनिया के परिदृश्य कई अवधारणाओं को समझने के लिए सबसे अच्छे उदाहरण हो सकते हैं। शिक्षक एक ऐसी मानसिकता बनाने के लिए सही लोग हैं जो अधिक उद्यमी है। ये रचनात्मक छात्र, जो अपने स्कूल के दिनों से ही नियमित रूप से समस्याओं का समाधान करते रहे हैं, वे उद्यमियों की तरह सोचेंगे और किसी की तलाश करने के बजाय अधिक रोजगार पैदा करेंगे। जैसे-जैसे छात्र ऐसे कौशल सीखेंगे जो उन्हें वास्तविक दुनिया में मदद करेंगे, वे सर्वश्रेष्ठ के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होंगे। वैश्विक कार्यबल में सफल होने के लिए छात्रों को तैयार करने का यह सही तरीका है। कम उम्र में उन्नत तकनीक का परिचय देने से छात्र इसके साथ सहज हो जाएँगे और साथ ही, नवाचार के बीज भी जल्दी बोएँगे।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करने से इंजीनियरिंग और गणित के लिए एक मजबूत नींव तैयार होगी, साथ ही प्रौद्योगिकी के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी बनेगा। एक अनुकूल शिक्षण वातावरण के साथ-साथ जहाँ छात्र अपने विचार साझा करते हैं, यह न केवल उनकी रचनात्मकता को बढ़ाएगा बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा और उन्हें आत्मविश्वासी व्यक्ति बनाएगा। नवाचार की संस्कृति सभी छात्रों को प्रेरित करेगी और समावेशिता के मूल्य एक ऐसा शिक्षण वातावरण तैयार करेंगे जो सभी के लिए सुलभ हो।

आखिरकार, ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र तभी संभव है जब सभी हितधारक एक साथ मिलकर काम करें। जैसे-जैसे शिक्षक टीमवर्क और संचार कौशल विकसित करते हैं, माता-पिता को भी अपने बच्चे की शिक्षा में आगे आकर उसका समर्थन करना होगा। माता-पिता को अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए और शिक्षा की इस भविष्यवादी शैली के लाभों को समझना चाहिए।

नवाचार-आधारित शिक्षा को अगले स्तर पर ले जाने के लिए, सरकार का समर्थन भी आवश्यक है। उन्हें ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जो आविष्कार और रचनात्मकता को बढ़ावा दें। ऐसा दृष्टिकोण हमें छात्रों को आधुनिक उद्योगों में करियर के लिए तैयार करने और भविष्य में आने वाले किसी भी आश्चर्य के लिए तैयार करने में मदद करेगा।

## आप की बात

### प्राकृतिक जीवनशैली

**प्रकृति** का सौंदर्य इंसानों को प्रारंभ से ही आकर्षित करता रहा है, वहीं इसका रौद्र रूप हमें भयभीत करता है। प्रकृति हमारे जीवन का मुख्य आधार है। जीवन का आधार प्राणवायु हमें पेड़ पौधे से प्राप्त होती है। पानी और भोजन भी प्रकृति प्रदत्त उपहारों में शामिल है। इस प्रकार प्रकृति जीव जगत के कल्याण के लिए ईश्वर द्वारा रचित व्यवस्था है। प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन की महती जवाबदारी भी विधाता ने जीव जगत को ही सौंप रखी है। हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार 84 लाख योनियों में जीव जगत पृथ्वी जल और आकाश में विचरण करता है। इसमें मनुष्य रुपी प्राणी को छोड़कर सभी जीव प्रकृति के सौंदर्य को निखारने में अपना योगदान दे रहे हैं। आज से चार-पांच दशक पूर्व की पीढ़ी प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवनयापन करती थी, किंतु आज हम प्रकृति के संरक्षण के प्रति उदासीन हो गए हैं। आज प्रकृति का सिर्फ दोहन किया जा रहा है तथा कथित विकास के नाम पर प्रकृति को रौंदने में हमने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। प्रकृति का रौद्र रूप इसी का दुष्परिणाम है। आंधी, तूफान, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ग्लोबल वार्मिंग एवं वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के कारण पूरा मानव समाज कष्ट झेल रहा है। इसलिए प्राकृतिक जीवनशैली जरूरी है।

– **ललित महालकरी**, इंदौर

### कानूनों का दुरुपयोग

**देश** में महिलाओं, दलितों, बच्चों एवं अन्य कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कई कानूनों का उद्देश्य सराहनीय है। लेकिन इनका दुरुपयोग गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम का प्रयोग कई बार मनमाने ढंग से किया जा रहा है। यही स्थिति अन्य कानूनों की भी है जिनके उपयोग के बजाय दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। इनमें घरेलू हिंसा तथा अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम खासतौर से शामिल हैं। प्रशासनिक तंत्र विशेषकर पुलिस विभाग को एफआईआर दर्ज करते समय जो कानूनी विवेकाधिकार दिया गया है वह कई बार व्यक्तिगत स्वार्थ, दबाव या पैसे के प्रभाव में आकर भ्रष्टाचार से प्रभावित हो जाता है। पुलिस द्वारा धाराओं का चयन इस तरह होता है कि मुकदमे की दिशा उसी समय तय हो जाती है। इस प्रकार सच्चाई पूरी तरह अदालत के समक्ष कभी आ ही नहीं पाती। वकीलों की भूमिका भी कई बार पक्षपाती या व्यावसायिक लाभ से प्रेरित होती है। इससे साधारण व्यक्ति का विश्वास न्याय प्रणाली से उठता जा रहा है। यह स्थिति लोकतंत्र के लिए घातक संकेत है। कानून का दुरुपयोग रोकना ही सच्चा न्याय है।

– **सुभाष बुड़ावन वाला**, रतलाम

### हिंदी-विरोध की राजनीति

**गैर हिंदी भाषी** क्षेत्रों में अनेक राजनीतिक दलों का रवैया उचित नहीं लगता। हिंदी माध्यम से भरपूर रोजगार के अवसर का लाभ उठाते महाराष्ट्र राज्य में त्रिभाषा नीति को जो झटका लगा है, वह न केवल दुखद, बल्कि हिंदी-भाषी समाज के लिए चिंता का विषय भी है। पहली कक्षा से ही हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाए जाने की केंद्र सरकार की मंशा राजनीतिक दबाव में महाराष्ट्र सरकार के पीछे हटने से धूमिल हो गई है। उद्धव और राज ठाकरे ने क्षेत्रीय अस्मिता की दुहाई देकर हिंदी के खिलाफ माहौल गरमा दिया। विडंबना है कि जब हिंदी पढ़ाने की सिफारिश हुई थी तब उद्धव ही मुख्यमंत्री थे। आज विपक्ष में रहते हुए वही हिंदी-विरोध का झंडा उठाए हुए हैं। लगता है हिंदी के खिलाफ आंदोलन चलाना अब राजनीतिक श्रेय बटोरने का नया तरीका बन गया है। मुंबई जैसे शहर हिंदी सिनेमा की आत्मा हैं, वहां हिंदी से परहेज एक प्रकार का ढोंग है। हिंदी-विरोध अब राष्ट्रीयता बनाम क्षेत्रीयता की लड़ाई में बदलता दिख रहा है। यह स्थिति महाराष्ट्र, तमिलनाडु या किसी अन्य क्षेत्र के लिए आत्मघाती सिद्ध हो सकती है। हिंदीभाषियों ने हमेशा देश के सभी लोगों का दिल खोल कर स्वागत किया है और वे अपने प्रति भी ऐसे ही सम्मान की मांग करते हैं।

– **अमृतलाल मारू**, इंदौर

### करंट लगने का खतरा

**भोपाल** के शाहजहांनाबाद में 5 साल की एक मासूम बच्ची की घर के पास लगे बिजली के खंभे से करंट लगने से मौत हो गई। इसी तरह अलीराजपुर के ग्राम सेजा में बिजली के खंभे से करंट लगने से बालिका की मौत हो गई। अमूमन बरसात के दिनों में करंट फैलने की घटनाएं ज्यादा होती हैं। जिससे हर वर्ष देश में सैकड़ों की संख्या में लोग मृत्यु के शिकार होते हैं। चाहे घर हो या खुले में बारिश के आने से पहले करंट से बचने के आवश्यक उपाय जरूरी हैं। जहां सीमेंट के खंभे लगे हुए हैं उनमें करंट उतरना मुश्किल होता है। लेकिन लोहे के खंभों में करंट का खतरा जरूरत से ज्यादा रहता है। विद्युत विभाग को लोहे के खंभों के स्थान पर सीमेंट के मजबूत खंबे लगाना चाहिए और ट्रांसफार्मर या अन्य ऐसी जगह पर जहां करंट लगने का खतरा ज्यादा होता है, उचित तारबंदी करना चाहिए। माता-पिता व अभिभावकों को तथा स्कूलों में बच्चों को बिजली के खंभे व ट्रांसफार्मर से दूर रहने की हिदायत हर समय देते रहना चाहिए। क्योंकि बच्चे खेल-खेल में तथा नासमझी के चलते करंट के शिकार हो जाते हैं।

– **हेमा हरि उपाध्याय**, उज्जैन

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
**responsemail.hindipioneer@gmail.com**
पर भी भेज सकते हैं।

दैनिक जागरण

साहस का अभाव कभी क्षमताओं का विस्तार नहीं होने देता

## क्वाड का संदेश

अमेरिका में चार देशों के संगठन क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक में यह तो कहा गया कि पहलगाम में आतंकी हमले के दोषियों को न्याय के कठघरे में खड़ा किया जाए, लेकिन सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम लेने से बचा गया। स्पष्ट है कि अमेरिका, आस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों के रवैये से भारत संतुष्ट नहीं हो सकता। यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि अमेरिका की पहल पर पाकिस्तान का नाम लेने से बचा गया। आखिर उसकी ओर संकेत करने का क्या अर्थ? क्या पाकिस्तान क्वाड के सदस्य देशों से भी बड़ा देश है अथवा ऐसी कोई आर्थिक एवं सैन्य ताकत है, जिससे आतंकी संगठनों को पालने पोसने की उसकी नीति की आलोचना-निंदा करने में संकोच किया जाए? इस संकोच के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के स्वार्थ जान पड़ते हैं। उन्होंने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ आपरेशन सिंदूर के तहत की गई भारत की सैन्य कार्रवाई पर जिस तरह प्रतिकूल रवैया अपनाया, उससे भारत को तो हैरानी हुई ही, स्वयं अमेरिका की आतंकवाद के प्रति दोहरी नीति नए सिरे से उजागर हुई। यह साफ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान के आतंकी चेहरे की अनदेखी कर रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान को प्रिय और महान देश बताने के साथ पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष की तारीफ भी की। इसके कारण कुछ भी हों, भारत को आतंकवाद के मामले में अमेरिका और विशेष रूप से राष्ट्रपति ट्रंप की नीति से सावधान रहना चाहिए।

भारत को इसके लिए निरंतर प्रयत्न करने होंगे कि क्वाड जिन उद्देश्यों के लिए गठित किया गया, उनके अनुरूप ही कार्य करे और ऐसा करते हुए सभी सदस्य देशों के हित की चिंता करे। भारत इस पर संतोष कर सकता है कि क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में आतंकवाद के अतिरिक्त जिन अन्य विषयों पर चर्चा हुई, वे उसके हितों को रेखांकित करने और उसकी चिंताओं को अभिव्यक्ति देने वाले हैं। कुछ समय बाद क्वाड शिखर सम्मेलन होना है। भारत को अभी से इस बैठक की तैयारी करनी होगी। इसी के साथ उसे अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों और विशेष रूप से चीन की भी सदस्यता वाले एससीओ और ब्रिक्स जैसे संगठनों में अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सक्रिय रहना होगा। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में वैश्विक हितों के साथ अपने हितों की चिंता करनी ही होती है। यह शुभ संकेत है कि पिछले कुछ समय से भारत अपने हितों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय मामलों में भी मुखर हुआ है। यह मुखरता इसलिए कायम रहनी चाहिए, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र केवल बातें करने का मंच बनकर रह गया है। भारत को आतंकवाद के मामले में चीन, अमेरिका आदि देशों के दोहरे रवैये को बार-बार रेखांकित करना चाहिए।

## संवेदनशील न्याय तंत्र

इलाहाबाद हाई कोर्ट की यह टिप्पणी कि लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति उनका भाग्य निर्धारित करती है, कार्यपालिका के लिए सीख है और विधायिका के लिए संदेश कि वह तंत्र को आम आदमी के प्रति और संवेदनशील बनाए। न्यायालय पर लोगों का भरोसा तो हमेशा से रहा है, पर यही यकीन कार्यपालिका पर भी कायम हो तभी सामाजिक संतुलन अपने लक्ष्य को पाएगा। इस चक्कर में न्याय मिलने में बहुत विलंब हो जाता है। देरी से मिला न्याय, न्याय नहीं पाने जैसा हो जाता है। यह एक तरह से अन्याय की तरह होता है। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति संदीप जैन की खंडपीठ ने कानपुर देहात में दर्ज 29 साल पुराने दुष्कर्म से जुड़े मामले में अभियुक्तों को सजा सुनाते हुए यह टिप्पणी की है कि पीड़ितों की पीड़ा अक्सर मुकदमे से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है, एफआइआर दर्ज करा पाना भी मुश्किल भरा हो जाता है। पीड़िता को 29 साल बाद मिला न्याय कितनी राहत पहुंचाएगा? उत्तर प्रदेश में ही कन्नौज के एक मामले में बारह वर्ष बाद पांच अभियुक्तों को सजा दी गई है। पीड़ित को गोली लगी थी, पर थाने ने एफआइआर तक दर्ज नहीं की थी। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पांच अभियुक्तों को सात-सात साल की सजा दी है। न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों को विचार करना होगा कि न्याय मिलने में 12 और 29 वर्षों का अंतराल न हो।

> न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों को विचार करना होगा कि न्याय मिलने में 12 और 29 वर्षों का अंतराल न हो

# राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता

प्रकाश सिंह

**कई राज्यों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, वह उनकी बड़ी संख्या को देखते हुए न के बराबर है**

अवधेश राजपूत

बांग्लादेशियों की भारत में बड़ी संख्या में घुसपैठ से पैदा समस्याओं के प्रति भारत में दशकों तक सुस्ती दिखाए जाने के बाद अब कुछ जागृति दिखाई दे रही है। कई राज्यों में उनकी धरपकड़ हो रही है और उन्हें वापस बांग्लादेश भेजे जाने के प्रयास हो रहे हैं। दिल्ली में ही पिछले छह महीनों के दौरान करीब 800 बांग्लादेशी पकड़े गए और उन्हें बांग्लादेश वापस भेजा गया। असम में विशेष तौर से बांग्लादेशियों के विरुद्ध अभियान चल रहा है। असम ने एक आदेश जारी किया है कि जब तक जिला मजिस्ट्रेट सत्यापित नहीं कर देंगे, तब तक किसी को आधार पहचान पत्र नहीं मिलेगा। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा से भी अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ के समाचार आए हैं, फिर भी हमें यह समझना होगा कि जो कार्रवाई हो रही है, वह बांग्लादेशियों की बहुत अधिक संख्या को देखते हुए शून्य है। वैसे तो तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान से कुछ लोग बराबर भारत में घुसपैठ करते रहे। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद सोचा गया कि अब घुसपैठ कम हो जाएगी, पर दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। नया देश बनने के बाद भी वहां अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न होता रहा और उनकी स्थिति खस्ताहाल बनी रही। फलस्वरूप हिंदू और मुसलमान, दोनों ही अलग-अलग कारणों से भारत आते रहे। बांग्लादेश के इंस्टीट्यूट आफ डेवलपमेंट स्टडीज के अनुसार 1951और 1961 के बीच पूर्वी पाकिस्तान से 35 लाख व्यक्ति 'गायब' हो गए। इसी प्रकार 1961 से 1974 के बीच 15 लाख व्यक्तियों का भी कुछ पता नहीं चला। ये व्यक्ति हवा में नहीं उड़ गए। ये सब भारत चले आए। बांग्लादेश के बुद्धिजीवियों ने लेबेंसराम की भी एक थ्योरी चलाई। इसके अनुसार अधिक जनसंख्या के क्षेत्र से कम जनसंख्या के क्षेत्र में लोगों का प्रवाह एक सामान्य प्रक्रिया है और बांग्लादेशियों का भारत जाना स्वाभाविक है। दुर्भाग्य से भारत की किसी भी सरकार ने इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया।

कारगिल युद्ध के बाद भारत सरकार ने चार टास्क फोर्स बनाई थीं। इनमें से एक टास्क फोर्स बार्डर मैनेजमेंट यानी सीमा प्रबंधन से संबंधित थी। इसके अध्यक्ष माधव गोडबोले थे, जो बाद में केंद्रीय गृह सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने अगस्त 2000 में भारत सरकार को सौंपी रिपोर्ट में खेद प्रकट किया कि देश में हर पार्टी में इस समस्या के प्रति उदासीनता थी और किसी भी राज्य या केंद्र सरकार ने इसके दुष्परिणामों के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने साफ लिखा कि इस समस्या को लेकर सारी जानकारी और उससे निपटने के पर्याप्त संसाधन थे, पर राजनीतिक वर्ग में समस्या से निपटने के तरीकों में कोई 'सहमति' न होने के कारण निष्क्रियता रही। टास्क फोर्स के आकलन के अनुसार हर महीने करीब 25 हजार यानी प्रतिवर्ष तीन लाख बांग्लादेशी अवैध तरीके से भारत आते रहे और भारत में उनकी कुल संख्या उस समय तक करीब 1.5 करोड़ थी।

बांग्लादेश-भारत सीमा पर जैसे-जैसे फेंसिंग लगती गई, घुसपैठियों की संख्या में कमी होती गई। फिर भी बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या भारत में इस समय कम से कम दो करोड़ होगी। 2001 में मंत्रियों के एक समूह ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक रिपोर्ट में स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया कि बांग्लादेश से जो घुसपैठ हो रही है वह देश की सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और आर्थिक प्रगति के लिए एक गंभीर खतरा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2005 में एक फैसले में कहा कि असम में बांग्लादेशियों की घुसपैठ के कारण आंतरिक उथल-पुथल और विदेशी आक्रमण जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और इस परिस्थिति में भारत सरकार का कर्तव्य बनता है कि असम की सुरक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद 355 के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाई करे। यह देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि टास्क फोर्स की रिपोर्ट, मंत्रियों के समूह की चेतावनी और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी भारत सरकार की नींद नहीं खुली और स्थिति जस की तस बनी रही। क्या यूपीए सरकार, क्या एनडीए सरकार, किसी ने कुछ नहीं किया। अब जब बांग्लादेश में तख्तापलट हो गया है और शेख हसीना वहां से बचकर भारत में निर्वासित रूप में रह रही हैं और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार का गठन हो गया है, जो भारत विरोधी है, तब सबको लग रहा है कि कुछ करना चाहिए। समकालीन वैश्विक परिदृश्य को देखें तो तमाम देश अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं। अमेरिका में विभिन्न देशों से घुसपैठ कर आए हुए सभी व्यक्तियों को जबरन उनके देश वापस भेजा जा रहा है। पाकिस्तान ने भी करीब 13 लाख अफगानों को वापस अफगानिस्तान भेज दिया है। मलेशिया से भी बांग्लादेशियों के विरुद्ध कार्रवाई की खबर आ रही है। ऐसे माहौल में भारत में अवैध तरीके से घुसे बांग्लादेशियों और म्यांमार से रोहिंग्या घुसपैठियों के विरुद्ध व्यापक स्तर पर कार्रवाई में कोई संकोच नहीं होना चाहिए।

फिलहाल विभिन्न राज्यों में जो कार्रवाई हो रही है, उससे लगता है कि हम शायद कुछ हजार बांग्लादेशियों को ही वापस भेज पाएंगे। बड़ी संख्या में बांग्लादेशियों के भारत में रहने की स्थिति से हमें समझौता करना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो हमें तीन बातें सुनिश्चित करनी होंगी। पहली, अवैध रूप से आए बांग्लादेशियों को अलग पहचान पत्र दिए जाएं, जिसके अंतर्गत उन्हें देश में रहने और काम करने की अनुमति हो। दूसरे, वे भारत में अचल संपत्ति न खरीद सकें और तीसरी उन्हें किसी भी चुनाव में वोट देने का अधिकार न हो। भारत सरकार को यह भी साहस जुटाना होगा कि जितने बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं, उनके रहने के लिए उसी अनुपात में बांग्लादेश से भूमि मांगे। बांग्लादेश इसके लिए राजी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में हमें सख्ती दिखानी। बात आगे बढ़े तो रंगपुर डिवीजन में भूमि लेने से सिलीगुड़ी कारिडोर की समस्या बहुत हद तक सुलझ जाएगी।

गृहमंत्री बार-बार कहते हैं कि भारत कोई धर्मशाला नहीं है कि यहां कोई भी घुस चला आए और यहीं बसेरा बना ले। धर्मशाला तो हमारा देश बन चुका है। देखना यह है कि इस धर्मशाला की सरकार कितनी सफाई कर पाती है।

(लेखक सीमा सुरक्षा बल एवं उत्तर प्रदेश पुलिस के महानिदेशक रहे हैं)
response@jagran.com

# श्रद्धा और संकल्प की यात्रा

मनोज सिन्हा

**इस वर्ष की अमरनाथ यात्रा आतंक के विरुद्ध भी एक बहुत बड़ा संदेश देने जा रही है**

जम्मू-कश्मीर की हिमालय पर्वत श्रृंखला में 13,000 फुट पर स्थित महादेव का तीर्थ समस्त तीर्थों का सार है। अमरनाथ की पवित्र गुफा में भगवान शंकर ने देवी पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। अप्रैल में पहलगाम में पाकिस्तान-समर्थित आतंकवादियों द्वारा 26 पर्यटकों की बर्बर हत्या के पश्चात आपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिलाकर एक बड़ा संकेत दिया था। पहलगाम आतंकी हमला जम्मू-कश्मीर को दशकों पीछे धकेलने की भी साजिश थी। इसलिए इस साल की तीर्थयात्रा जम्मू-कश्मीर के सपनों को नया अवसर प्रदान करेगी। इस वर्ष यात्रा से पूरे विश्व को यह संदेश जाएगा कि भारत न केवल जम्मू-कश्मीर के तीव्र विकास के लिए समर्पित, बल्कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आतंकियों के अंत के लिए भी दृढ़-संकल्पित है। छह जून को कटरा में भी वही संकल्प नजर आया था। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू-कश्मीर स्थित विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का लोकार्पण कर संदेश दिया था कि अब भारत की प्रगति के पहिये नहीं थमेंगे और आतंकियों के संहार के साथ-साथ विकास का तीव्र प्रसार भी होता रहेगा। जम्मू-कश्मीर के राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ाव के साथ ही यहां 70 साल से भेदभाव से ग्रस्त समाज को मुख्यधारा में लाया गया। पिछले पांच वर्षों में आमूलचूल परिवर्तन, सर्वस्पर्शी और समावेशी विकास के संकल्प ने राज्य की दशा-दिशा बदली है। औद्योगिक निवेश तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर का कायाकल्प हुआ है। सभी के लिए समान आर्थिक अवसर सुनिश्चित किए गए हैं। शासन ने लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाया है। ऊर्जा, वित्तीय संसाधन, कृषि एवं किसान, शिक्षा, युवाओं और महिलाओं के सशक्तीकरण तथा स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार ने जम्मू-कश्मीर को बड़े लक्ष्य गढ़ने और उन्हें प्राप्त करने की सामर्थ्य प्रदान की है।

वक्त ने करवट बदली है और अब आम कश्मीरी आतंकवाद के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। इसके पीछे संयम और धैर्य के साथ जम्मू कश्मीर को आतंक-मुक्त करने के प्रयासों की अहम भूमिका रही है। पहलगाम आतंकी हमले के पश्चात पाकिस्तान के खिलाफ घाटी की सड़कों पर आम नागरिकों का गुस्सा इसका संकेत है कि जम्मू-कश्मीर अपनी नई भाग्य रचना कर रहा है। पिछले पांच वर्षों में कश्मीर घाटी में बच्चे राष्ट्रगान की गूंज सुनते हुए बड़े हुए हैं। नई पीढ़ी की चेतना अतीत के बोझ से मुक्त है। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 की समाप्ति के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने जो बदलाव अर्जित किया, वह इस केंद्रशासित प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य के लिए बहुत बड़ी पूंजी है। बुनियादी ढांचे को आधुनिक स्वरूप प्रदान कर तथा जम्मू कश्मीर की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को भव्यतम रूप देकर प्रशासन ने पिछले पांच वर्षों में नई गौरवगाथा लिखी है। सपनों और सुविधाओं में फासला कम हुआ है। उज्ज्वल भविष्य की आतुरता ही अब जम्मू-कश्मीर की ताकत है। व्यापक परिवर्तन अमरनाथ यात्रा के आयोजन में भी प्रतिबिंबित हो रहा है।

2024 में पांच लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए थे। 12 वर्षों में तीर्थयात्रा का यह सबसे बड़ा आंकड़ा था। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जीरो लैंडफिल दृष्टिकोण अपनाया गया है। आज देश भर के सांस्कृतिक-आध्यात्मिक समारोहों के लिए इसे एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा है। 2022 से 2024 के बीच यात्रा मार्गों पर काफी सुधार कार्य किए गए हैं। पवित्र गुफा तक जाने वाले दोनों मार्गों पर 12 फीट तक चौड़ा यात्रा मार्ग बनाया गया है। इन मार्गों पर रियल टाइम निगरानी रखने तथा अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए सभी पंजीकृत तीर्थयात्रियों और सेवा प्रदाताओं के लिए आरएफआइडी-आधारित ट्रैकिंग प्रणाली शुरू की गई है। लाइव फीड के माध्यम से यात्रा मार्ग की चौबीसों घंटे निगरानी द्वारा तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। यात्रा के दोनों बेस कैंप बालटाल और चंदनवाड़ी में 100 बिस्तरों वाले अस्पताल शुरू किए गए हैं। 2022 से पहले यात्रा मार्गों पर बिजली आपूर्ति नहीं थी। श्राइन बोर्ड ने सभी मार्गों और पवित्र गुफा में ग्रिड द्वारा बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित किया है। निर्बाध टेली-कनेक्टिविटी के लिए दोनों यात्रा मार्गों पर भूमिगत आप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है। इससे यात्रा की सुगमता बढ़ी है।

हालांकि इस वर्ष हेलीकाप्टर सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। चूंकि पिछले कुछ वर्षों में केवल आठ प्रतिशत श्रद्धालुओं ने ही हेलीकाप्टर सेवाओं का उपयोग किया था, इसलिए इस निर्णय से यात्रा पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। निजी वाहनों से आने वाले तीर्थयात्रियों से मैं आग्रह करता हूं कि वे जम्मू से बेस कैंप तक केवल काफिले के साथ ही यात्रा करें। समाज में शांति एवं करुणा का अविच्छिन्न प्रवाह हो, यही मेरी कामना है।

(लेखक जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल हैं)
response@jagran.com

श्रद्धालुओं की सुविधा-सुरक्षा को प्राथमिकता। फाइल

## ऊर्जा

### वाणी संयम

मनुष्य चाहे तो सभी को मित्र बना ले या सभी को शत्रु, क्योंकि मुंह में जिह्वा रूपी जिस करिश्माई शक्ति का वरदान उसे परमात्मा से मिला हुआ है, उसका विवेक या अविवेकसम्मत उपयोग कर सभी का मित्र या सभी का शत्रु बन सकना, उसके लिए कोई कठिन काम भी नहीं है। कब, कहां, कैसे, कितना बोलना अथवा चुप रहना चाहिए, इस विधा को समझ लेना ही वाणी संयम है। कबीरदास ने कहा है, 'सदैव ऐसी भाषा बोलनी चाहिए, जो सुनने और कहने वाले दोनों को आनंदित करने वाली हो।' प्रायः धनबल और बाहुबल संपन्न मनुष्य की वाणी में अहंकार का प्रवेश हो जाने से उनमें वाणी संयम की अवहेलना दिखती है, जिससे हरसंभव बचा जाना चाहिए। मां सरस्वती से वाणी संयम के वरदान की प्रार्थना करनी चाहिए। वाणी शब्द का अर्थ है शब्द या कविता। संवाद में शिष्टाचार की अपेक्षा सभी से हर समय होती है। अतः वार्तालाप के दौरान वाणी में सत्यता, सुंदरता, मितता (कम बोलना) और मधुरता-इन चार गुणों का प्रवाह सदैव बनाए रखना तथा क्रोध, अहंकार और लोभ से उसे बचाए रखकर वाणी संयम रूपी तप का अनुष्ठान करते रहना, अनेक वचनामृतों में लाभकारी होना बताया गया है।

कौआ और कोयल एक जैसे दिखते हैं, किंतु उनके स्वर से ही उनकी पहचान होती है। लंका प्रवेश के पश्चात अशोक वाटिका में हनुमान जी द्वारा माता सीता के मन में उपजे अनेक विचारों का उत्तर मधुर वचनों से दिया जाना (सीता मन विचार कर नाना। मधुर बचन बोलेउ हनुमाना॥) और शरणागति के समय विभीषण द्वारा मीठे शब्दों में श्रीराम को अपना परिचय दिया जाना (नयन नीर पुलकित अति गाता। मन धरि धीर कही मृदु बाता॥) इसी अपेक्षा को पुष्ट बनाते हैं कि वाणी में मिठास रूपी रसायन कितना समसामयिक और उपयोगी होता है।

एसएन दुबे 'स्नेही'

## फर्जी लोन एप से बचाव के उपाय

सुनीता मिश्रा

केंद्र सरकार ऋण देने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले एप और एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नया विधेयक ला रही है। इस प्रस्तावित बिल का नाम 'बैनिंग आफ अनरेगुलेटेड लेंडिंग एक्टिविटीज' है। इसका उद्देश्य धोखाधड़ी को रोकना और नागरिकों की सुरक्षा करना है। इससे कर्ज देने वाली उन गतिविधियों पर रोक लगेगी, जिन्हें रिजर्व बैंक या कोई दूसरी अधिकृत संस्था मंजूरी नहीं देती। ये एप लोगों को कर्ज देकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं, जिसकी वजह से कई लोग आत्महत्या भी कर चुके हैं। देश में कई लोगों के फर्जी लोन एप में फंसकर बर्बाद होने के मामले सामने आए हैं।

उम्मीद है इस कानून के अमल में आने के बाद फर्जी डिजिटल लोन एप्स पर लगाम लगेगी। अगर कोई व्यक्तिगत रूप से या फिर डिजिटल माध्यम से कमर्शियल लोन देने का कारोबार करता है तो उसे आरबीआइ से या स्टेट बैंक आफ इंडिया कानून, 1955 या फिर किसी राज्य के मनी लेंडिंग कानून के तहत मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। मंजूरी नहीं लेने वालों को दो से सात साल तक की जेल और दो लाख से एक करोड़ तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। प्रस्तावित बिल में कर्ज देने वाली एजेंसियों या एप्स का एक डाटाबेस होगा।

> कई डिजिटल लोन एप चंद मिनटों में लोन देने का दावा करते हैं, लेकिन असल में इनका मकसद लोगों को धोखा देना होता है

आजकल कई डिजिटल लोन एप चंद मिनटों में लोन देने का दावा करते हैं। ये खुद को अधिकृत संस्था की तरह दिखाते हैं, लेकिन असल में इनका मकसद लोगों को धोखा देना होता है। ऐसे में लोन एप डाउनलोड करने से पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, ताकि आप साइबर ठगी और डाटा लीक जैसे खतरों से बच सकें। ये लोन देने के नाम पर लोगों से जरूरी दस्तावेज, फोटो और बैंक डिटेल्स मांगते हैं। बाद में मोटी रकम वसूलने के लिए धमकी देते हैं या फिर ग्राहक का डाटा ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये फोन में मौजूद फोटो, कांटैक्ट और फाइल्स को एक्सेस कर लेते हैं और जब लेनदार उन्हें उनके मुताबिक रुपये नहीं लौटाता या उनका विरोध करता है तो वे उनकी फोटो मार्फ करके वायरल करने और रिश्तेदारों को गलत मैसेज भेजने की धमकी देते हैं। कई लोग बदनामी के डर से फर्जी एप को मोटी रकम ट्रांसफर भी कर देते हैं। वहीं कुछ लोग दबाव में आकर आत्महत्या कर लेते हैं। इसलिए कभी भी लोन एप की विश्वसनीयता की जांच किए बिना उसे डाउनलोड न करें। हमेशा लोन लेने के लिए आरबीआइ से रजिस्टर्ड बैंक या गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर भरोसा करें। तुरंत लोन जैसे आफर्स वाले लिंक पर क्लिक करने से बचें। फोटो, कांटैक्ट या फाइल्स एक्सेस मांगने वाले एप को डाउनलोड न करें। किसी भी लोन एप के नियम एवं शर्तें ध्यान से जरूर पढ़ें। ऐसा करके आप फर्जी लोन एप के झांसे में आने से बच सकते हैं।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

## मेलबाक्स

### न्याय की राह में बाधा

'कानून के दुरुपयोग की आदत' शीर्षक से प्रकाशित ऋतु सारस्वत के आलेख में तमाम उदाहरणों की भरमार है जिससे कानून के दुरुपयोग संबंधी अन्य कई पहलू छूट गए हैं। देश में महिलाओं, दलितों, बच्चों एवं अन्य कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए बनाए गए कई कानूनों के उद्देश्य सराहनीय हैं, लेकिन इनका दुरुपयोग गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है। हाल में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम का प्रयोग कई बार मनमाने ढंग से किया जाता है। यही स्थिति अन्य कानूनों की भी है, जिनका उपयोग करने के बजाय दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है-चाहे वह घरेलू हिंसा का मामला हो या अनुसूचित जाति-जनजाति अधिनियम हो। प्रशासनिक तंत्र विशेषकर पुलिस विभाग को एफआइआर दर्ज करने संबंधी जो कानूनी विवेकाधिकार दिया गया है, वह कई बार व्यक्तिगत स्वार्थ, दबाव या पैसे के प्रभाव में आकर भ्रष्टाचार का कारण बन जाता है। पुलिस द्वारा धाराओं के चयन से ही तय हो जाता है कि मुकदमा किस दिशा में जाएगा। यानी मुकदमा लिखते समय ही उसकी दिशा तय हो जाती है। और जब न्यायालय में वही धाराएं पेश होती हैं, तो असली सच्चाई अदालत के समक्ष कभी आ ही नहीं पाती। वहीं वकीलों की भूमिका भी कई बार पक्षपाती या व्यावसायिक लाभ से प्रेरित होती है। आम लोग पहले ही पुलिस और अदालत के चक्कर से डरते हैं और जो हिम्मत कर भी लेते हैं, वे व्यवस्था की जटिलता और असंवेदनशीलता से हार मान लेते हैं। कानून अगर न्याय का माध्यम नहीं बन पाए और केवल शक्तिशाली का हथियार बन जाए, तो वह लोकतंत्र के लिए घातक संकेत है। कानून के दुरुपयोग को रोकना ही न्याय की सच्ची राह है।

सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम, मप्र

### राष्ट्रवाद पर हावी क्षेत्रवाद

महाराष्ट्र सरकार ने शिक्षा के मंदिरों में तीन-भाषा नीति फार्मूले से संबद्ध दो सरकारी प्रस्तावों (जीआर) को वापस लेकर क्षेत्रवाद को राष्ट्रवाद पर हावी करने की कोशिश की है। इससे देश में मराठी-हिंदी वाद-विवाद को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिक्षाविद डा. नरेंद्र जाधव की अध्यक्षता में नई समिति बनाई है, लेकिन शिवसेना (यूबीटी), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सहित विपक्षी दलों ने क्षेत्रीय पहचान बचाने का पाखंड करते हुए देश-विदेश को राष्ट्रीय एकता सूत्र में पिरोने वाली हिंदी भाषा का विरोध तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे दक्षिणी राज्यों की तरह जारी रखा हुआ है। क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देने से राष्ट्रीय एकीकरण का संतुलन बिगड़ सकता है। समाज के हर अंग को राष्ट्रीय भाषा अथवा अपनी मातृभाषा में अध्ययन करने का मौलिक अधिकार संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप प्राप्त है।

युगल किशोर शर्मा, फरीदाबाद

### सम्मान का शगुन

हरियाणा की सांस्कृतिक विरासत में अनेक ऐसी प्रथाएं और परंपराएं हैं, जो सामाजिक समरसता, सौहार्द और आपसी सम्मान को प्रकट करती हैं। इन्हीं परंपराओं में एक महत्वपूर्ण प्रथा शगुन है। हरियाणा प्रदेश में इसे नेंद्र घालणा भी कहा जाता है। विशेषकर विवाह, तीज-त्योहार, मांगलिक अवसरों और सामाजिक आयोजनों में शगुन के माध्यम से बड़ों का आशीर्वाद और समाज की सामूहिक सहभागिता का भाव प्रकट किया जाता है। समय के साथ भले ही इसकी रूपरेखा बदली हो, परंतु इसका भाव आज भी उतना ही प्रासंगिक और जीवंत है। इस सांस्कृतिक परंपरा को सरकार ने भी सामाजिक कल्याण से जोड़ा है। प्रदेश सरकार द्वारा शगुन योजना के अंतर्गत पिछड़े वर्ग की बेटियों के विवाह अवसर पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता में दस हजार रुपये की बढ़ोतरी कर इसे और भी प्रभावशाली बनाया गया है। यह निर्णय न केवल सामाजिक न्याय की दिशा में सकारात्मक पहल है, बल्कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सम्मान के साथ विवाह समारोह सम्पन्न करने में सहयोग मिलेगा।

सुरेश गोयल धूप वाला, हिसार

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) - विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
********

**1.2** लाख रुपये की चप्पल लांच की है एक अंतरराष्ट्रीय फैशन ब्रांड ने, जिसके डिजाइन पर यह आरोप लगाया गया है कि उसने भारतीय सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व की चप्पलों के डिजाइन की नकल की है।



आजकल

# भारतीय शिल्पकला की विरासत को मिले पहचान

**एक मशहूर इतालवी फैशन ब्रांड द्वारा भारत की प्रख्यात कोल्हापुरी चप्पल से मिलती-जुलती चप्पल बेचने पर हमारे यहां के कारीगरों की चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल इस ब्रांड ने कोल्हापुरी चप्पल से प्रेरित चप्पल पेश करके भारत की सांस्कृतिक विरासत का लाभ उठाया, जिससे विवाद खड़ा हो गया है। कर्नाटक के एक मंत्री ने भारतीय कारीगरों का समर्थन करते हुए कहा है कि अगर मशहूर फैशन ब्रांड्स इन कारीगरों के उत्पादों को बेचते हैं तो कारीगरों के हुनर और उनकी विरासत को भी पहचान मिलनी चाहिए। इस मामले ने वैश्विक ब्रांडों द्वारा भारतीय शिल्पकला के उपयोग और सांस्कृतिक विनियोग पर बहस को नए सिरे से आगे बढ़ाया है**

अमित सिंह
उप नियंत्रक (पेटेंट एवं डिजाइंस), नई दिल्ली

कोल्हापुरी चप्पल पारंपरिक चमड़े की चप्पल है, जिसका उद्भव 12वीं सदी में महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था। फाइल

हाल ही में एक प्रख्यात लक्जरी ब्रांड द्वारा कोल्हापुरी चप्पलों को अपने संग्रह में शामिल करने को लेकर जो विवाद उठा है, उसे सांस्कृतिक अनुचितता और बौद्धिक संपदा की चोरी के एक उदाहरण के तौर पर भी माना जा सकता है। ये चमड़े की हस्तनिर्मित चप्पलें सदियों से महाराष्ट्र में बनती आ रही हैं, जिन्हें कुशल भारतीय कारीगर बड़ी मेहनत और बारीकी से तैयार करते हैं। लेकिन जब कोई अंतरराष्ट्रीय फैशन ब्रांड इसी तरह के डिजाइन को बिना किसी श्रेय या संदर्भ के प्रीमियम दाम (एक लाख बीस हजार रुपये तक) पर बेचता है, तो इससे न केवल उस डिजाइन का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व मिटता है, बल्कि मूल कारीगर (जो कि भारतीय हैं) अंतरराष्ट्रीय बाजार से बाहर कर दिए जाते हैं।

कोल्हापुरी चप्पल एक पारंपरिक हस्तनिर्मित चमड़े की चप्पल है, जिसका उद्भव 12वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के कोल्हापुर क्षेत्र में माना जाता है। वहां के शासकों ने चप्पल निर्माण उद्योग को प्रोत्साहित किया और चमड़ा तैयार करने के केंद्रों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रारंभ में ये चप्पलें स्थानीय मोचियों द्वारा बनाई जाती थीं और इन्हें पुकरी, पायतान, बक्कलनली और कपाशी जैसे विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता था, जिनमें से हर नाम प्रायः उस गांव से जुड़ा होता था जहां ये चप्पलें बनाई जाती थीं। 'कोल्हापुरी' नाम 18वीं शताब्दी में अधिक प्रचलन में आया और आज यह व्यावसायिक रूप से इतना आकर्षक हो गया है कि प्राडा जैसा वैश्विक ब्रांड भी इसके आकर्षण से अछूता नहीं रह पाया है।

**जीआइ टैग :** कोल्हापुरी चप्पलें पारंपरिक शिल्प तकनीकों के साथ हाथ से बनाई जाती हैं और इसमें प्राकृतिक तत्वों से ट्रीट किया गया चमड़ा उपयोग किया जाता है। इन चप्पलों को बनाने वाले पीढ़ियों से इस पारंपरिक कलात्मक उद्योग से जुड़े हुए हैं और इन चप्पलों के व्यवसाय पर आर्थिक रूप से निर्भर हैं। कोल्हापुरी चप्पलें भौगोलिक संकेतक (जीआइ) टैग प्राप्त उत्पाद हैं और भारतीय बौद्धिक संपदा कानूनों के तहत संरक्षित हैं। कोई भी विदेशी कंपनी इन उत्पादों को अपने नाम से नहीं बेच सकती और न ही इन पर विक्रय और विपणन का एकाधिकार प्राप्त कर सकती है। यदि कोई ऐसा करता है तो वह अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा कानून का हनन होगा।

यह पहली बार नहीं है जब भारतीय उत्पादों को इस प्रकार का अनुचित विदोहन सहन पड़ा है, इससे पूर्व भी कई अन्य उत्पाद भी इस भेदभाव और अन्याय का शिकार हो चुके हैं। कश्मीरी बूटा को 'पैस्ली' के नाम से जाना जाना, इस प्रकार की सांस्कृतिक चोरी का एक बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक उदाहरण है। 18वीं और 19वीं सदी में कश्मीरी शाल, जिन पर विशिष्ट बूटा (बूंदनुमा) डिजाइन बुना या कढ़ा जाता था, यूरोप में बेहद लोकप्रिय हो गईं। लेकिन उन्हें भारत से मंगवाने के बजाय, स्काटलैंड के पैस्ली नामक शहर में मिलें लगाकर उनकी सस्ती नकलें बड़े पैमाने पर तैयार की गईं। ये नकलें इतनी प्रचलित हो गईं कि असली कश्मीरी डिजाइन का नाम ही भुला दिया गया। इस 'पैस्ली' डिजाइन की जड़ें कश्मीर और फारसी परंपरा में हैं, इसे कम ही लोग जानते हैं।

**व्यावसायिक शोषण :** यह अनुचित चलन केवल चप्पलों या शालों तक सीमित नहीं है। भारतीय संस्कृति के कई पारंपरिक शिल्प जैसे ब्लाक प्रिंट, कांथा कढ़ाई, बांधनी, अजरख, जरी और शीशा कढ़ाई- विदेशी डिजाइनरों को प्रेरित करते रहे हैं। लेकिन इन शिल्पों को जीवित रखने वाले समुदाय अक्सर आर्थिक रूप से हाशिये पर ही रह जाते हैं और उन्हें उचित मान्यता नहीं मिलती। वर्तमान मामला केवल आर्थिक हानि का मामला नहीं है, बल्कि बिना श्रेय दिए व्यावसायिक शोषण और सांस्कृतिक विरासत के मिटाए जाने का मामला है। पारंपरिक शिल्पों को केवल एक सजावटी मूल्य के रूप में देखा जाता है, न कि उन जीवंत सांस्कृतिक विरासतों के रूप में जिन्हें असली लोग अपनी पीढ़ियों से बनाए रखे हुए हैं।

वैश्विक फैशन जगत में सांस्कृतिक श्रेय देना एक नैतिक कर्तव्य ही नहीं, बल्कि न्याय और समानता का प्रश्न होना चाहिए। कोल्हापुरी चप्पलों जैसे उत्पादों को जो भौगोलिक संकेतक मिले हैं, उन्हें आवश्यक प्रयास से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सख्ती से लागू किया जाना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बासमती चावल के लिए भारत की लड़ाई ने यह दिखाया कि विकासशील देश पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए बौद्धिक संपदा कानूनों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। फैशन क्षेत्र में सक्रियता और उपभोक्ता जागरूकता से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि ब्रांड्स श्रेय दें और निष्पक्ष सहयोग में निवेश करें।

कोल्हापुरी चप्पल विवाद और कश्मीरी बूटा के 'पैस्ली' बन जाने की कहानी, दोनों ही उस गहरे सांस्कृतिक दोहन और ऐतिहासिक विस्मरण का हिस्सा हैं जिसका भारत लंबे समय से शिकार रहा है। भारत की समृद्ध वस्त्र और शिल्प परंपराएं सदियों से दुनिया को आकर्षित करती रही हैं, लेकिन इन्हें संजोने वाले समुदायों को शायद ही कभी सम्मान और पारिश्रमिक मिला हो। अगर वैश्विक फैशन वास्तव में विविधता और विरासत का सम्मान करना चाहता है, तो उसे सतही प्रशंसा से आगे बढ़कर ऐसी नीतियां अपनानी होंगी जो स्रोत का आदर करें, कारीगरों को श्रेय दें और मुनाफा साझा करें। तभी हम शोषण से सशक्तीकरण की ओर बढ़ सकेंगे और यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि पारंपरिक कारीगर केवल देखे ही नहीं जाएं, बल्कि उनकी बौद्धिक संपदा को विश्व पटल पर सम्मानपूर्वक पहचाना जाए।

## पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण का प्रयास

सिद्धार्थ मिश्र
प्रोफेसर, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारतीय बौद्धिक संपदा का पश्चिमी देशों द्वारा दुरुपयोग कोई नया मुद्दा नहीं है। योग, नीम और हल्दी जैसी पारंपरिक भारतीय विधाओं और औषधियों को पेटेंट कराने के पूर्व प्रयास इसके प्रसिद्ध उदाहरण हैं। इस तरह के गलत प्रयासों से अपने सांस्कृतिक और पारंपरिक ज्ञान की रक्षा के लिए भारत सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। इसी दिशा में एक प्रमुख पहल है आयुष मंत्रालय द्वारा, विशेष रूप से ट्रेडिशनल नालेज डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से प्राचीन भारतीय ज्ञान का डिजिटलीकरण। टीकेडीएल भारत की पारंपरिक चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी विशाल ज्ञान-संपदा की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह ज्ञान सुलभ-प्रामाणिक बनाकर भारत को बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र में कानूनी स्थिति को मजबूत करता है। यह तय करता है कि पारंपरिक ज्ञान में योगदान देने वाले भारतीय समुदायों को मान्यता मिले और इस ज्ञान के उपयोग से प्राप्त लाभ न्यायसंगत और समान रूप से साझा किए जाएं।

यदि हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे प्रयासों की बात करें तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (वाइपो) स्थानीय समुदायों के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा करने में सक्रिय रूप से शामिल है। वाइपो विशेष रूप से स्थानीय समुदायों को उनके पारंपरिक ज्ञान (टीके) और पारंपरिक सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों (टीसीई) को सहेजने के संदर्भ में तत्परता से कार्यरत है। इसके प्रयासों में स्थानीय समुदायों की उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना और अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचे को आगे बढ़ाना शामिल है, ताकि इन मूल्यवान योगदानों की उचित सुरक्षा और मान्यता सुनिश्चित की जा सके।

वाइपो ने स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संधियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे कि बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधन और संबंधित पारंपरिक ज्ञान पर आधारित वाइपो संधि जिसे 24 मई, 2024 को आधिकारिक रूप से अंगीकृत किया गया था। इस संधि में एक अनिवार्य पेटेंट प्रकटीकरण आवश्यकता निर्धारित की गई है, जिसके अंतर्गत पेटेंट के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को यह बताना होगा कि यदि उसका दावा किया गया आविष्कार आनुवंशिक संसाधनों और/ या संबंधित पारंपरिक ज्ञान पर आधारित है, तो उन आनुवंशिक संसाधनों का मूल देश कौन सा है और/ या वह पारंपरिक ज्ञान किस मूल समुदाय या स्थानीय समुदाय द्वारा प्रदान किया गया है।

भारत की वैश्विक जैव विविधता में सात-आठ प्रतिशत की हिस्सेदारी है, इस संधि से लाभ उठा सकता है, क्योंकि यह उसके आनुवंशिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के लिए कानूनी सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करेगा। यह एक सतत प्रयास है, जिसे बौद्धिक संपदा अधिकारों के निरंतर बदलते परिदृश्य के साथ मिलाकर विकसित होना चाहिए, ताकि दुरुपयोग को रोका जा सके और भारत की पारंपरिक ज्ञान संपदा का न्यायसंगत एवं सम्मानजनक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

भारत आज विश्व में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति में बौद्धिक संपदा का भी योगदान है जो और भी अधिक हो सकता है, जिसके लिए समग्र प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए न केवल एक विस्तृत एवं सुदृढ़ बौद्धिक अधिकार कानून ढांचा तैयार करना होगा, बल्कि आम जनता को, खासकर सर्जनात्मक/ रचनात्मक व्यक्तियों को अपने बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना होगा। इससे लोग देश/ विदेश में अपने अधिकारों को मनवाने के लिए कानूनी रूप से सशक्त बनेंगे और देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी।

खरी-खरी

## संवैधानिक ढंग से उठाई गई आवाज

भूपेंद्र भारतीय

मेरी कोशिश रहती है कि जब भी किसी तरह की कोई आवाज उठाऊं तो वह संवैधानिक ढंग से हो। लेकिन क्या पता किसी न किसी की मानहानि हो ही जाती है। विगत दिनों मैंने एक मंच से बस इतना कह दिया कि भ्रष्टाचार दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। बस फिर क्या था! कितनों का ही लोकतंत्र नाराज हो गया। उन्होंने इसे अपनी मानहानि मान ली। संविधान पर बात आ गई। बाबा साहब को बीच में ले आए। बताओ इसमें किसकी मानहानि हुई? भला संविधान ने सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार दिया है, फिर किसी को किसी की बात से नाराज नहीं होना चाहिए।

हम देखते हैं आजकल सब संवैधानिक ढंग से अपनी आवाज उठा रहे हैं। उठाना भी चाहिए। लोग तो दूसरे की बैठी हुई भैंस को उठा देते हैं तो फिर अपनी आवाज उठाने में कौनसी परेशानी है। आवाज ही तो है कोई आंदोलन तो नहीं कि जिसे कुचलने की जरूरत पड़े। सब अपने अपने हिसाब से अपनी आवाज उठाते रहते हैं। कोई सड़क पर तो कोई पंथ, रिलीजन, मजहब के सहारे आवाज उठा रहा है।

लोग संविधान की आड़ में खूब आवाज उठाते हैं। सबके अपने ढंग है। कोई अपनी गाय को सड़क पर खुला छोड़कर उठाता है, तो कोई सड़क पर गलत दिशा से अपनी कार चलाकर आवाज उठाता है। आखिर सबको संविधान ने एक संवैधानिक आवाज उठाने का ढंग दिया है। मैं उसे सड़क पर कचरा फेंककर उठाऊं या फिर ऊंची आवाज में डीजे बजाकर उठाऊं- यह मेरा अपना अपना ढंग।

आखिर संविधान ने मुझे यह ढंग दिया है। मैं इसका उपभोग क्यों नहीं करूं। बड़े अधिकारी तो इस ढंग की आड़ में कितनी ही ग्रांट डकार जाते हैं और बड़े ढंग की ऊंची आवाज उठाते हैं। नेता संसद की आड़ में आवाज उठाते हैं और अपने क्षेत्र में कोलाहल मचा देते हैं। फिर मैं संवैधानिक ढंग से आवाज क्यों नहीं उठा सकता हूं। मेरे पास यह संवैधानिक ढंग का ही अधिकार बचा है, नहीं तो मैं अपने घर में भी चूं तक नहीं कर सकता हूं। घर के बाहर की तो बात ही अलग है।

---

### पोस्ट

रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन यानी आरडीआइ के लिए केंद्र सरकार की एक लाख करोड़ रुपये के कोष की योजना बहुत क्रांतिकारी साबित होगी। इससे शोध एवं विकास को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही बजट की एक महत्वपूर्ण घोषणा भी अमल में आ गई। राजीव मंत्री @RMantri

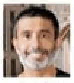

सुनने में आ रहा कि भारत एशिया कप में पाकिस्तान के साथ मैच खेलेगा। इसे लेकर यह पूछना है कि क्या आपरेशन सिंदूर रुक गया है? मुझे तो लगा था कि उसे केवल स्थगित किया गया है। आखिर हम इस आतंकी देश के साथ क्यों खेलें? कुशल मेहरा @kushal_mehra

क्वाड के संयुक्त बयान में यह सहमति बनी है कि पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम देने वालों और उसके लिए वित्तीय बंदोबस्त करने वालों को दंडित किया जाए, मगर क्वाड का ही एक सदस्य अमेरिका जहां आतंक के आका मुनीर की मेहमाननवाजी करता है, वहीं आतंकी देश पाकिस्तान को अरबों डालर के लोन दिलाने में भी मददगार बनता है। आखिर पाखंड की भी कोई सीमा होती है।
राहुल शिवशंकर @RShivshankar

### जागरण जनमत

कल का परिणाम

**क्या दूसरे टेस्ट में कुलदीप यादव को अंतिम एकादश में जगह मिलनी चाहिए?**

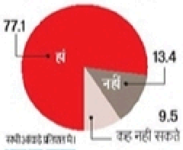


सभी आंकड़े प्रतिशत में।

**आज का सवाल**

क्या शोध, विकास एवं नवाचार के लिए एक लाख करोड़ रुपये के कोष से आर्थिकी को तेज गति मिलेगी?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

### जनपथ

खरगे जी से पूछिए हाईकमान कौन,
रहते जिसके सम्मुख हाथ बांधकर मौन।
हाथ बांधकर मौन यही तो आदत अच्छी,
वरना कितने रोज रहेगी यह अध्यक्षी!
नेहरू-गांधी वंश अगर हो मालिक घर के,
तो कैसे आवाज निकाले आखिर खरगे!!
- ओमप्रकाश तिवारी

---

मध्य प्रदेश डायरी

# हेमंत के समक्ष एकजुटता की चुनौती

धनंजय प्रताप सिंह
राज्य ब्यूरो प्रमुख, नईदुनिया, मध्य प्रदेश

लंबे समय तक सस्पेंस रखने के बाद चौंकाने वाला नाम सामने रखने की परंपरा भाजपा ने मध्य प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष के निर्विरोध निर्वाचन तक जारी रखी और विधायक हेमंत खंडेलवाल को प्रदेश की कमान सौंप दी है। खंडेलवाल को यह मौका पार्टी के सत्ता में रहते हुए मिला है, लेकिन उनकी चुनौतियां कम नहीं है। उनके सामने मिशन 2028 यानी विधानसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारी करने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ पार्टी में लगातार बढ़ रही अनुशासनहीनता पर भी अंकुश लगाना है। साथ ही सभी को एकजुट रखना है। बैतूल से दो बार के विधायक हेमंत खंडेलवाल से सभी की अपेक्षा पार्टी को वर्तमान स्थिति से आगे ले जाने की रहेगी। यह तभी हो सकता है जब वे चुनौतियों से पार पा सकें। विवादित बयान देने वाले विजय शाह जैसे पुराने नेता हों या फिर नए सभी को अनुशासन में रखना होगा, नहीं तो पार्टी की साख प्रदेश ही नहीं, देशभर में बिगड़ेगी। राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने भी प्रदेश भाजपा का उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाना होगा।

खंडेलवाल पर आरएसएस और मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने हाथ रखा है, इसलिए इन दोनों की अपेक्षाएं भी हैं। ऐसे में अपने तीन वर्ष के कार्यकाल में उनके सामने प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से कई चुनौतियां रहेंगी। इनसे कुशलता से पार पा लिया, तो ये उनके लिए यह बेहतरीन अवसर बन जाएगा। राजनीति का स्वभाव है कि नए चेहरे से अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं। वह भी भाजपा जैसी बड़ी पार्टी में जहां राष्ट्रीय राजनीति में दखल रखने वाले नेता हों, इन सभी को साधकर चलना होगा। उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे तो नाराजगी भी झेलनी पड़ सकती है। देखना होगा कि वे कैसे 'सबके साथ' और 'सबका साथ' के वाक्य पर सही उतरते हैं।

नजदीक में आने वाली सबसे बड़ी चुनौती की बात करें, तो राजनीतिक नियुक्तियां हैं। निगम, मंडल, बोर्डों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जिलों में दीनदयाल अंत्योदय समितियों में पदाधिकारियों की नियुक्तियां होनी हैं। इनकी चर्चा लंबे समय से है, पर अब निर्णय नए अध्यक्ष और सरकार के समन्वय से होना है। इसकी प्रक्रिया कब प्रारंभ होगी और किसे मौका मिलता है, इसमें खंडेलवाल की कार्यशैली दिखाई देगी। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के समय की गईं नियुक्तियों को मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने भंग कर दिया था। एक वर्ष से भी अधिक समय से निगम, मंडल और बोर्डों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं हैं। इसी तरह से सत्ता और सरकार के बीच तालमेल बनाकर रखना भी सामान्य बात नहीं होगी। कारण, भले ही मुख्यमंत्री उनके साथ हैं, लेकिन मंत्रियों की अपनी अपेक्षाएं हैं। इसी तरह से संगठन और कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं भी सरकार से हैं। संगठन का मुखिया होने के नाते खंडेलवाल के सामने यह चुनौती रहेगी कि कार्यकर्ता निराश होकर टूटने न पाएं।

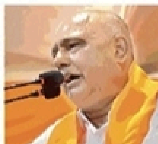

हेमंत खंडेलवाल फाइल

विधानसभा और लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस से कई बड़े-छोटे नेताओं ने भाजपा का दामन थामा था। इनमें कुछ तो पार्टी में घुल-मिल गए, तो कुछ अभी भी अलग-थलग हैं। कोई दायित्व नहीं मिलने पर वे उलझन में हैं। पुराने भाजपाई उन्हें आज भी स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। कारण, उनके आने से भाजपा के कई नेता हाशिए पर आ गए। ऐसे में पुराने नेताओं को पकड़े रखने और कांग्रेस से आने वालों की अपेक्षाओं को पूरा करना होगा। पार्टी में सार्वजनिक या भीतरी विवाद का लाभ लेने का कांग्रेस कोई भी अवसर नहीं छोड़ने वाली है। इसका बड़ा कारण वर्ष 2028 के अंत में विधानसभा और 2029 में लोकसभा चुनाव हैं। दोनों चुनावों में प्रदेश ही नहीं, राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने भी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर दिखाना होगा।

वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 230 में से 163 और मई 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में सभी 29 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस की फिर प्रदेश की सत्ता में आने की भरपूर कोशिश रहेगी, तो लोकसभा की सीटें छीनने में भी वह कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है। कांग्रेस ने राहुल गांधी की रणनीति के अनुसार अभी से अपना संगठन मजबूत करना प्रारंभ कर दिया है। पार्टी पिछले चुनाव में भाजपा द्वारा किए प्रयोगों को अपनाने के साथ अपनी रणनीति पर भी काम कर रही है। ऐसे में खंडेलवाल के नेतृत्व वाली उनकी पूरी टीम के सामने पिछला प्रदर्शन बरकरार रखने और आगे बढ़ने की चुनौती रहेगी। अभी उनके पास तीन वर्ष का अवसर भी है। मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक नई टीम है।

पार्टी खंडेलवाल के नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव लड़ सकती है, इसलिए उनके सामने चुनाव की तैयारियों में बेहतर करने की चुनौती रहेगी। उन्हें सभी अंचल और वर्ग को साधना होगा। प्रदेश का आदिवासी वर्ग सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाता रहा है। कांग्रेस इसे पूरी तरह से अपनी ओर खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। छोटी सी घटना भी पूरे आदिवासी वर्ग को नाराज करने के लिए पर्याप्त होती है। इसी तरह से कर्मचारी वर्ग, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की भी अपनी अपेक्षाएं हैं, जिसके लिए वे सरकार से अधिक संगठन की तरफ देखते हैं। राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने भी उन्हें अपना संगठन कौशल दिखाना होगा। पिछले लोकसभा चुनावों में प्रदेश भाजपा का शानदार प्रदर्शन रहा। इस कारण राष्ट्रीय नेताओं का भी प्रदेश पर विशेष ध्यान रहा।

---

हिमाचल प्रदेश डायरी

# हिमाचल का होश हाजिर हो

नवनीत शर्मा
राज्य संपादक, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश में बरसात से कई कुछ ढहने के क्रम में शिमला के साथ सटे भट्ठाकुफर में भी एक बहुमंजिला घर गिर गया। चूंकि पिछली रात ही उसे खाली करवा लिया गया था तो जनहानि नहीं हुई। इसके नजदीक से राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य चल रहा था तो स्वाभाविक है, खोदाई हुई थी। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह वहां पहुंचे तो एनएचएआइ के अधिकारी को भी बुलाया गया। मंत्री और अधिकारी के बीच संवाद सार्वजनिक न रह कर पास के एक कमरे में स्थानांतरित हुआ। अंदर जो भी हुआ, उसके बाद राजमार्ग प्राधिकरण के दोनों अधिकारी लहूलुहान अवस्था में भागे। थाने की प्राथमिकी कहती है कि मंत्री ने प्राधिकरण अधिकारी अचल जिंदल की पिटाई की। सूचना यह भी है कि घड़ा सिर पर फोड़ा गया। केंद्रीय भूतल परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात की और सख्त कार्रवाई करने को कहा। प्राधिकरण के अध्यक्ष संतोष यादव ने मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को पत्र लिख राज्य की कानून-व्यवस्था को प्रश्नांकित किया। एक शिकायत राजमार्ग प्राधिकरण पर भी दर्ज करवाई गई कि उक्त भवन प्राधिकरण की लापरवाही से गिरा। अब क्रास एफआइआर होगी और जांच होगी। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया है कि कानून के दायरे में रहते हुए कार्रवाई होगी।

उधर, दूसरे प्रकरण में, बिलासपुर में कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर भी एक वीडियो में अपने चिरपरिचित अंदाज में एएसपी शिव चौधरी को धक्का देते दिखाई दिए। एएसपी कह रहे हैं- 'डोंट टच मी। गाली नी देनी।' स्पष्ट है कि गाली भी दी गई है। एसडीएम बीच-बचाव करते दिख रहे हैं। पूर्व विधायक द्वारा अपनी जान को निरंतर खतरे की बात कह कर ज्ञापन देने की बात थी।

ये दोनों प्रकरण प्रश्न उठाते हैं कि क्या मारपीट उचित थी? इंटरनेट मीडिया में न केवल विरोध करने वाले हैं, अपितु समर्थन करने वाले भी हैं। मंत्री महोदय ने विस्तृत पत्रकार वार्ता करने से पूर्व यह कह कर कुछ संकेत किया था कि अपने लोगों के साथ खड़े होने की बात आए तो किसी भी हद तक जाना चाहिए। यह स्पष्टीकरण एक राजनीतिक व्यक्ति के लिए तो उपयुक्त है, किंतु एक विधायक के लिए नहीं। दूसरा पक्ष कितना भी गलत हो, विधान बनाने वालों पर ही विधान में विघ्न उत्पन्न करने का आरोप आए तो यह आदर्श स्थिति नहीं है। मंत्री महोदय का यह भी कहना है कि राजमार्ग प्राधिकरण ठीक कार्य नहीं करता। अगर कोई शिकायत करता है तो मुआवजे की बात कह कर चुप करवा दिया जाता है। उन्होंने परवाणू से शिमला राजमार्ग पर पत्थर गिरने से मार्ग बाधित रहने का सवाल भी उठाया।

संभव है राजमार्ग प्राधिकरण से कई लोगों को कई शिकायतें हों। लेकिन सवाल यही है कि अब गुस्से और भावना को कर्तव्य का स्थान ले लेना चाहिए? क्या यही मार्ग बचा था कि किसी का सिर फोड़ दिया जाए? यह केवल आपा खोने का नहीं, संदेशवाहक को हानि पहुंचाने का प्रकरण भी बन गया। पूरी प्रदेश सरकार है, कई मंत्री प्रदेश की योजनाओं के लिए निरंतर दिल्ली के संपर्क में रहते हैं। राजमार्ग प्राधिकरण कब-कब और कहां-कहां गलत है, यह बात रिकार्ड में लाई जा सकती है... सीधे केंद्रीय मंत्री को बताई जा सकती है। हर कार्य आरंभ होने से पहले समझौता पत्र बनता है, करार होते हैं, उनकी अवहेलना होने पर 'मौके पर न्याय' और उसे मिलता जनसमर्थन प्रदेश के लिए आदर्श नहीं बना रहा है। आम आदमी की नहीं सुनता होगा, पर क्या राजमार्ग प्राधिकरण प्रदेश सरकार और मंत्रियों की बात भी नहीं सुनता? जांच ही बताएगी कि कौन ठीक है, कौन गलत, किंतु बड़ी चिंता यह है कि संवाद, वार्तालाप, चर्चा, विमर्श अब इतने थक चुके हैं कि नौबत पिटाई तक आ जाए? संदेह इसमें भी नहीं कि अनिरुद्ध सिंह ऐसे मंत्री हैं जो जनता की आवाज सुनते हैं। संजौली मस्जिद प्रकरण में उन्होंने जो पक्ष लिया था, वह निर्णायक साबित हुआ था। नशे के विरुद्ध पंचायतों की सहायता लेने की पहल उन्होंने ही की थी। हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत यह राज्य को ही सोचना है कि यदि आज राजमार्ग मंत्रालय सब परियोजनाओं पर पुनर्विचार का निर्णय ले ले तो क्या होगा।

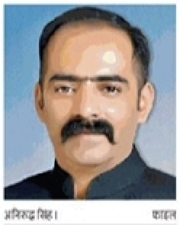

अनिरुद्ध सिंह। फाइल

बंबर ठाकुर। फाइल

बिलासपुर प्रशासन से भी अनुरोध है कि पूर्व विधायक बंबर ठाकुर की सुरक्षा का समुचित प्रबंध करें। यह भी विचित्र संयोग है कि जब-जब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बिलासपुर आते हैं, बंबर ठाकुर को अपनी समस्या बड़ी हुई दिखती है। देखना यह है कि एएसपी के साथ दिखाई देते उनके दुर्व्यवहार पर बिलासपुर प्रशासन या पुलिस क्या कदम उठाती है। आखिर यह खाकी के इकबाल का सवाल है।

इंटरनेट मीडिया के दौर में आदर्श जितनी जल्द बनते हैं, उतनी शीघ्रता से ध्वस्त भी हो जाते हैं। इसलिए, कानून को हाथ में लेने की घटनाएं यदि आदर्श बनने लगेंगी तो इस प्रवृत्ति का प्रसार हर वर्ग तक होगा। क्या ऐसा होना चाहिए?

********

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • बृहस्पतिवार • 3 जुलाई • 2025
www.rashtriyasahara.com

## सख्त हिदायत

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहलगाम आतंकी हमले को आर्थिक युद्ध का नया कृत्य बताया। अंतरराष्ट्रीय पत्रिका 'न्यूजवीक' के साथ मैनहट्टन में हुई बातचीत में उन्होंने परमाणु ब्लैकमेल की पाकिस्तान की नीति का जवाब देने की बात भी कही। जयशंकर ने पाकिस्तान के साथ हुए संघर्ष पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम अब यह स्वीकार नहीं करेंगे कि आतंकवादी छद्म हैं। इस मामले में पाकिस्तान पूरी तरह दोषी है। पहलगाम में छब्बीस पर्यटकों की निर्मम हत्या के लगभग दो महीनों बाद उन्होंने विस्तार में यह बात की। भारत ने इस आतंकवादी घटना के बाद सीमापार स्थित आतंकी ठिकानों पर हमला कर दिया था। विदेश मंत्री ने साफ कहा, हम सुरक्षा करेंगे। अपने लोगों की रक्षा करने के अधिकार का हम प्रयोग करेंगे। साथ ही कहा कि हम आतंकवाद पर बातचीत करने को इच्छुक हैं। लेकिन यदि वे आतंकवाद जारी रखते हैं तो मुझे लगता है यह यथार्थवादी नहीं है। यह भी कहा कि आप एक साथ अच्छे पड़ोसी और आतंकवादी नहीं हो सकते। हालांकि पाक सरकार विभाजित कश्मीर में हत्याओं या हमलों में किसी भी तरह का हाथ होने से इंकार करती रही है। उनकी तरफ से भारत पर जवाबी हमले भी किए गए थे और चेतावनी दी गई थी कि यदि पाकिस्तान को अपने अस्तित्व पर खतरा महसूस हुआ तो वह परमाणु हथियारों का सहारा भी ले सकता है। यह शायद पहली मर्तबा था, जब भारत ने दुश्मन मुल्क के भीतर घुसकर आतंकी ठिकानों का जबरदस्त तौर पर सफाया किया जिसका समूची दुनिया में स्पष्ट संदेश गया कि भारत अब आतंकवादियों के प्रति कोई मुरव्वत नहीं करने वाला। पाक में जारी राजनीतिक अस्थिरता और उथल-पुथल के दौरान आतंकवादियों के हौसले बुलंद होते जा रहे थे। हालांकि सीमापार आतंकवाद की यह मामला बेहद जटिल है, इसलिए इसका समाधान आसानी से नहीं किया जा सकता। परंतु भारत द्वारा अपने पड़ोसी मुल्कों से संबंध सुधारने के प्रयासों पर गंभीर बात करने के संकेत दिए जा रहे हैं। पहले भी पाकिस्तान सरकार द्वारा वांछित आतंकवादियों को प्रश्रय देने के कारण उनकी नीयत पर संदेह किया जाता रहा है। प्रशिक्षित आतंकवादियों के सीमापार से चोरी-छिपे घुसपैठ से देश की न सिर्फ शांति भंग होती है, बल्कि जान-माल का भी भारी नुकसान होता है। सरकार द्वारा उठाए गए सख्त कदमों से अब समूची दुनिया को सहमत होना ही होगा। मानना होगा कि यह किसी मुल्क विशेष की बजाय आतंकवाद के खिलाफ जारी मुहिम है।

## पुराने वाहनों पर डंडा

मंगलवार को दिल्ली में कड़ी सुरक्षा के बीच पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल-डीजल देने पर प्रतिबंध की शुरुआत हो गई। इस अभियान के तहत 15 साले से ज्यादा पुराने पेट्रोल-चालित वाहनों और 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल-चालित वाहनों को पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं लेने दिया जाएगा। अभियान में जुटी यातायात एवं परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और दिल्ली नगर निगम की संयुक्त टीमों ने पहले दिन की कार्रवाई में 25 ईओएल (समय-सीमा पूरी कर चुके वाहन) जब्त किए। पेट्रोल पंपों को ऐसे वाहनों को ईंधन न देने को निर्देशित किया गया है, और दिल्ली में 350 से ज्यादा पेट्रोल पंपों पर स्वचालित नंबर प्लेट रीडर कैमरे (एएनपीआर) लगाए गए हैं। वायु गुणवत्ता आयोग ने भी पेट्रोल पंप कर्मचारियों को सतर्क कर दिया था। दरअसल, काफी पहले नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (एनजीटी) नियत अवधि से ज्यादा पुराने हो चुके वाहनों को दिल्ली में चलने से रोकने के आदेश पारित कर चुका है। आदेश की अनुपालना में समय-समय पर सख्ती भी की गई लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं निकल पा रहे थे। डंप किए गए पुराने वाहनों, जिन्हें सार्वजनिक जगहों पर पार्क किया गया था, को जब्त भी किया गया लेकिन ऐसे वाहनों के मालिकों में किसी तरह का कोई डर या कानून की अनुपालना की ललक नहीं दिखलाई दी। लेकिन वाहनों से होने वाले प्रदूषण के नुकसान को देखते हुए जरूरी बन पड़ा था कि सख्ती से पुराने वाहनों को सड़क से हटवाया जाए। इस काम में अब तकनीक बड़ी मददगार साबित हो रही है। पुराने वाहनों की पहचान के लिए जो कैमरे पेट्रोल पंपों पर लगाए गए हैं, वे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से संचालित हैं। उनमें स्वचालित हूटर सिस्टम भी लगाया गया है। प्रतिबंधित वाहन के पेट्रोल पंप पर पहुंचते ही कैमरे तुरंत उसका पता लगा लेते हैं, और अभियान में जुटे कर्मियों को सचेत करने के लिए हूटर बजा देते हैं। कार्रवाई के बाद कई वाहन चालक अपने वाहन के बिना ही घर जाने को मजबूर हो गए। बेशक, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के साथ ही उद्योग आदि पर सख्ती की दरकार है। लेकिन यह भी जरूरी है कि नये वाहन खरीदने के लिए आवधिक ऋण जैसी सहूलियतों की शर्तें आसान की जाएं ताकि यह अभियान नागरिक-विरोधी करार न दिया जा सके।

कटाक्ष/ सहीराम

## आम के सीजन में गाजर का हलवा

इमरजेंसी के पचास वर्ष क्या पूरे हुए जी, मोदी जी तो एकदम ही इंदिरा जी का मुकाबला करने लगे। अलबत्ता, इससे नेहरू जी को थोड़ी राहत जरूर मिल गई। हालांकि कुछ लोग तो इसे मुकाबला मानने से ही इंकार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कहां राज भोज और कहां गंगू तेली। नहीं, जी नहीं। आप बिल्कुल ही गलत समझ गए। हम मोदी जी की अघोषित वाली इमरजेंसी को गंगू तेली नहीं कह रहे हैं। वह तो राजा भोज है। मोदी जी की तरह उसका अंदाज भी शाही है। लेकिन हम घोषित-अघोषित इमरजेंसियों की तो बात ही नहीं कर रहे। हम पाकिस्तान के साथ युद्ध की बात भी नहीं कर रहे कि इंदिरा जी ने कैसे पाकिस्तान को धूल चटाई थी और उसके दो टुकड़े कर दिए थे वगैरह-वगैरह। बताओ कितनी बड़ी बात थी। लेकिन मोदी जी ने तो उस बड़ी बात का सिर्फ बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक से ही मुकाबला कर लिया था। और इधर तो ट्रंप बीच में आ गया, वरना हमारे टीवी चैनल तो पाकिस्तान के पता नहीं कितने टुकड़े करके निकलते। सचमुच मोदी जी को ट्रंप की बातों में नहीं आना चाहिए था, टीवी चैनलों पर ही यकीन करना चाहिए था। कम से कम इंदिरा जी का मुकाबला तो हो जाता।

और अब देखो अंतरिक्ष यात्रा के मामले में भी मोदी जी ने इंदिरा जी से मुकाबला कर लिया। इंदिरा जी के वक्त अगर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे, तो मोदी जी ने शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में भेज दिया। इंदिरा जी ने जिस तरह से राकेश शर्मा से बात की थी कि दूर अंतरिक्ष से भारत कैसा दिखता है और जिसके जवाब में राकेश शर्मा ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा...लेकिन मोदी जी ने शुभांशु शुक्ला से पूछा कि आप जो गाजर का हलवा लेकर गए हैं, उसे अपने साथियों को खिलाया कि नहीं। समस्या यह है कि अपने यहां इन दिनों आम का सीजन है। ऐसे में मोदी जी अगर वैसा ही सवाल पूछते जैसा कि अक्षय कुमार ने उनसे पूछा था कि आप आम चूस कर खाते हैं या काट कर तो कुछ ज्यादा मुफीद सवाल होता। टॉनिक-वॉनिक पूछ लेते कि स्पेस में कौन सा टॉनिक ले रहे हो-दाल-रोटी तो खा नहीं रहे होंगे, वैसे जैसे टीवी वाली एंकराइन ने उनसे पूछा था कि आप थकते क्यों नहीं-कौन सा टॉनिक लेते हो। लेकिन उन्होंने पूछा गाजर के हलवे के बारे में। यार गाजर का हलवा अभी मिल रहा है क्या?



editpagesahara@gmail.com

**अनमोल वचन**

*जिससे मिलने के बाद जीने की उम्मीद बढ़ जाए, समझना वो ही प्रेम है।*
-आचार्य रजनीश

# खोलेंगे व्यापार के द्वार

भारत-अमेरिका

डॉ. जयंतीलाल भंडारी

एक जुलाई को अमेरिका के व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलाइन लीविट ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच बहुत जल्द इसी माह जुलाई के पहले सप्ताह में एक व्यापार समझौता दिखाई दे सकता है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका और भारत, दोनों देशों के बीच होने वाले इस समझौते की घोषणा करेंगे। उल्लेखनीय है कि 26 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वाशिंगटन में बिग ब्यूटीफल बिल इवेंट में भारत के साथ शानदार व्यापार समझौते का संकेत दिया है।

यह बात पिछले दिनों दोनों देशों के अधिकारियों की टीम की ओर से व्यापार समझौते के लिए विभिन्न विषयों, औद्योगिक और कृषि उत्पादों के लिए अधिक बाजार पहुंच, टैरिफ में कटौती और गैर-टैरिफ अड़चनों आदि पर चार दिवसीय बंद बातचीत के बाद सामने आई है। ट्रंप ने कहा, 'हमने चीन के साथ भी अच्छा व्यापार समझौता किया है। लेकिन हम हर किसी देश के साथ समझौतें नहीं करने जा रहे हैं। कुछ देशों को हम बस एक पत्र भेजेंगे, जिसमें लिखा होगा बहुत-बहुत धन्यवाद, आपको 25, 35, 45 फीसद टैरिफ देना होगा।'

गौरतलब है कि इसी वर्ष 13 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय व्यापार वार्ता हुई थी। इसी के मद्देनजर हाल में अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लटनिक और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका निष्पक्ष और न्यायसंगत व्यापार समझौते पर बातचीत करने की प्रक्रिया के अंतिम दौर में हैं, जिससे दोनों की अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होगा। साथ ही, भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौता 9 जुलाई के पहले पूरा होते हुए दिखाई दे सकेगा। अब नये संभावित अंतरिम व्यापार समझौते के बारे में जो तस्वीर उभर कर दिखाई दे रही है, इसके तहत अमेरिका के बाजार में भारतीय वस्तुओं पर लगने वाले शुल्क को शून्य करवाने के लिए भारत भी अमेरिका की कई वस्तुओं पर शुल्क में राहत दे सकता है। भारत अमेरिका से सभी रोजगारपरक सेक्टर में शून्य शुल्क या अति कम शुल्क चाहता है ताकि इन सेक्टर का अमेरिका में होने वाला निर्यात बढ़े जिससे भारत में मैन्युफैक्चरिंग और रोजगार बढ़ोतरी में मदद मिलेगी। दूसरी तरफ, अमेरिका इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ वाइन, एथनॉल, कई औद्योगिक आइटम्स और कुछ खाद्य आइटम्स के शुल्क में छूट चाहता है।

वस्तुतः इस तरह के अंतरिम व्यापार समझौते को पूर्ण होने में दो या तीन साल लग सकते थे। अमेरिका के साथ किया जाने वाला अंतरिम व्यापार समझौता टैरिफ विवादों को

सुलझाने और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है। अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि पूरी दुनिया में भारत एक ऐसे पहले देश के रूप में सामने है, जिसके साथ अमेरिका का द्विपक्षीय-कारोबार समझौता (बीटीए) प्रारंभिक आकार लेने के करीब है। साथ ही, भारत-अमेरिका के बीच बीटीए को 31 दिसम्बर, 2025 तक पूर्ण करना सुनिश्चित किया गया है।

यह बात महत्त्वपूर्ण है कि विगत 2 अप्रैल को ट्रंप ने भारत के 56 फीसद टैरिफ के जवाब में 26 प्रतिशत रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। 10 अप्रैल को ट्रंप ने इसे घटा कर 9 जुलाई तक के लिए 10 फीसद कर दिया। वास्तव में अमेरिका ने दूसरे कई देशों की तुलना में भारत पर कम टैरिफ लगाया है। निश्चित रूप से अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत लाभ का बाजार बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल के सीईओ टिम कुक को अमेरिका में बिकने वाले आईफोन भारत में बनाए जाने पर अमेरिका में 25 फीसद टैरिफ लगाए जाने की कड़ी चेतावनी के बाद भी एप्पल ने भारत में आईफोन विस्तार जारी रखने का संकेत दिया है। खास तौर से करीब 146 करोड़ आबादी के विशाल भारतीय बाजार की अमेरिका अनदेखी नहीं कर सकता। भारत में एग्री सेक्टर में ट्रंप अमेरिकी मक्का और गेहूं की उपज को खपाना चाहता है। ट्रंप अमेरिका के डेयरी प्रोडेक्ट्स भी भारत में बेचना चाहते हैं। चूंकि भारत की करीब 55 फीसद आबादी खेती पर निर्भर है, अतएव भारत ने अपना एग्रो मार्केट यूरोपीय संघ और ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड के लिए नहीं खोला है। अमेरिका भारत के फार्मेसी बाजार में भी लाभ कमाना चाहता है। फार्मास्यूटिकल जेनेरिक दवाओं के क्षेत्र में भारत दुनिया में पहले क्रम पर है। अमेरिका को अपने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम चलाने के लिए किफायती दरों पर जेनेरिक दवाओं का बड़े पैमाने पर आयात जरूरी है। चूंकि अमेरिका सर्विस सेक्टर, आईटी, बीपीओ और डिजिटल सर्विसेज में भारतीय टैलेंट पर निर्भर है। अतएव अमेरिका ट्रेड डील में सर्विस सेक्टर के भी लाभ चाहता है।

निश्चित रूप से 26 जून को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन में बिग ब्यूटीफल बिल इवेंट में भारत के साथ बहुत बड़े और शानदार व्यापार समझौते के जो संकेत दिए हैं, उसके बाद यह उभर कर सामने आ रहा है कि अब 9 जुलाई के पहले अंतरिम व्यापार समझौता आकार ले सकेगा। फिर दिसम्बर, 2025 तक बीटीए से भारत अमेरिका कारोबार तेजी से बढ़ता दिखाई दे सकेगा। ज्ञातव्य है कि वित्त वर्ष 2024-25 में अमेरिका लगातार चौथी बार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना रहा। दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार भी बढ़ कर 131.84 अरब डॉलर पर पहुंच गया।

यह महत्त्वपूर्ण है कि वित्त वर्ष 2024-25 में अमेरिका को भारत का निर्यात 11.6 फीसद बढ़कर 86.51 अरब डॉलर हो गया, जबकि 2023-24 में यह 77.52 अरब डॉलर था। 2024-25 में अमेरिका से आयात 7.44 फीसद बढ़ कर 45.33 अरब डॉलर हो गया जबकि 2023-24 में यह 42.2 अरब डॉलर था। उम्मीद करें कि भारत और अमेरिका के बीच 9 जुलाई के पहले अंतरिम व्यापार समझौता तथा दिसम्बर, 2025 तक बीटीए दोनों देशों के बीच 2030 तक 500 अरब डॉलर के द्विपक्षीय कारोबार के लक्ष्य के मद्देनजर मील का पत्थर साबित होगा। इससे देश से निर्यात बढ़ेंगे और बड़े पैमाने पर रोजगार अवसरों का सृजन होगा। इसके साथ-साथ भारत दुनिया की नई आर्थिक शक्ति बनने की डगर पर भी तेजी से आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा।

*(लेख में विचार निजी हैं)*

> निश्चित रूप से 26 जून को राष्ट्रपति ट्रंप ने वाशिंगटन में बिग ब्यूटीफल बिल इवेंट में भारत के साथ बहुत बड़े और शानदार व्यापार समझौते के जो संकेत दिए उसके बाद यह उभर कर सामने आ रहा है कि 9 जुलाई के पहले अंतरिम व्यापार समझौता आकार ले सकेगा। फिर दिसम्बर, 2025 तक बीटीए से भारत अमेरिका कारोबार तेजी से बढ़ता दिखाई देगा। ज्ञातव्य है कि अमेरिका लगातार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है

## सी बकथॉर्न

### छोटा फल लेकिन फायदे बड़े

- सी बकथॉर्न नाम सुनते ही आभास होता है कि यह समुद्र में पाया जाने वाला कोई पौधा है, लेकिन असल में यह औषधीय पौधा है जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लेह-लद्दाख जैसे पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है
- अमेरिका की लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, सी बकथॉर्न में बायोएक्टिव कंपाउंड्स नामक तत्व मौजूद होते हैं, जो दिल की सुरक्षा करते हैं। त्वचा के लिए भी यह गुणकारी है। महिलाओं के लिए खास फायदेमंद है क्योंकि हार्मोंस को संतुलित रखता है
- इसके छोटे-छोटे नारंगी रंग के फल बहुत ही पोषक होते हैं, जिनका उपयोग आयुर्वेद, यूनानी और आधुनिक चिकित्सा में भी किया जाता है। सी बकथॉर्न फल हजारों साल से सेहत के लिए उपयोग में लाया जाता रहा है

(मीडिया इनपुट्स)

X

अमेरिका का कहना है कि वह ईरान का बम बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन 1980 और 1990 के दशकों में उसने पाकिस्तान को परमाणु बम बनाने का उसका कुत्सित मंसूबा पूरा करने के लिए हर तरह से मदद दी थी। नतीजा आज यह है कि एक नाकाम देश 'इस्लामी बम' के साथ मैदान में है।

**ब्रह्म चेलानी, सामरिक चिंतक**
**@Chellaney**

चिंता | पंकज चतुर्वेदी

# फुहारों के साथ डूबती यमुना

बीते डेढ़ महीने में राजधानी दिल्ली पर कुल चार बार ठीकठाक बादल बरसे और बमुश्किल एक घंटे की बरसात में ही दिल्ली ठिठक गई। तीन दशकों से लाख दावों के बावजूद हर साल जलभराव वाले स्थानों की संख्या बढ़ रही है। 2023 में जहां जलभराव के 308 बिंदु चिन्हित किए गए थे, वहीं 2025 में इनकी संख्या बढ़ कर 410 हो गई है।

अब तो डूबने का दायरा वीआईपी कहलाने वाली लुटियन दिल्ली तक आ गया है। पानी भरते ही दो बातें सामने आती हैं। एक तो इस महीने या फिर इतने कम समय में इतना अधिक पानी कितने साल बाद बरसा। दूसरा, नायलॉन की सफाई और सीवर तंत्र का पुराना होना। समझना होगा कि दिल्ली बसी ही इसलिए थी कि यहां से यमुना बह रही थी। दिल्ली का जलभराव हो या फिर प्यास, उसका एकमात्र इलाज यमुना ही है।

दिल्ली में जलभराव का कारण यमुना का गाद और कचरे के कारण इतना उथला हो जाना है कि महज एक लाख क्यूसेक पानी आ जाए तो इसमें बाढ़ आ जाती है। नदी की जल ग्रहण क्षमता को कम करने में बड़ी मात्रा में जमा गाद (सिल्ट), रेत, सीवरेज, पूजा-पाठ सामग्री, मलवा और तमाम तरह के कचरे का योगदान है। नदी की गहराई कम हुई तो इसमें पानी भी कम आता है। आजादी के 77 साल में कभी भी नदी की गाद साफ करने का कोई प्रयास हुआ ही नहीं, जबकि नदी में कई निर्माण परियोजनाओं के मलवे को डालने से रोकने में एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) के आदेश नाकाम रहे हैं। 1994 से लेकर अब तक यमुना एक्शन प्लान के तीन चरण आ चुके हैं, हजारों करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं पर यमुना में गिरने वाले दिल्ली के 21 नालों की गाद भी अभी तक नहीं रोकी जा सकी। जब महानगर के बड़े नाले गाद से बजबजाते हैं, तो जलभराव की चोट दोधारी होती है। जब नाले का पानी नदी की तरफ लपकता है, और उथली नदी में पहले से ही नाले के मुंह तक पानी भरा होता है। ऐसे में नदी के प्रवाह से उपजे प्रतिगामी बल से नाले फिर पलट कर सड़कों को दरिया बना देते हैं। कभी यमुना का बहाव और हाथी डुब्बा गहराई आज के मयूर विहार, गांधी नगर, ओखला, अक्षरधाम तक हुआ करता था।

एक तरफ ढेर सारी वैध-अवैध कालोनियों और सरकारी भवनों के कारण नदी की चौड़ाई कम हुई तो दूसरी तरफ गहराई में गाद भर दी। इस तरह जीवनदायी बरसात के जल को समेटने वाली जल धार को कूड़ा ढोने की धार बना दिया गया। वहीं शहर के छह सौ से अधिक तालाब-झीलों तक बरसात का पानी आने के रास्ते रोक दिए गए। दुर्भाग्य है कि कोई भी सरकार दिल्ली में आबादी को बढ़ने से रोकने पर काम कर नहीं रही। इसका खमियाजा भी यमुना को उठाना पड़ रहा है, हालांकि इसकी मार भी उसी आबादी को पड़ रही है। सभी जानते हैं कि दिल्ली जैसे विशाल आबादी वाले इलाके में हर घर पानी और मुफ्त पानी बड़ा चुनावी मुद्दा है, और जब नदी-नहर पानी की कमी पूरी कर नहीं पाते तो जमीन में छेद कर पानी उलिछा जाता है, यह जाने बगैर कि इस तरह भूजल स्तर से बेपरवाही का असर यमुना के जल स्तर पर ही पड़ रहा है।

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के एक शोध के मुताबिक, यमुना के बाढ़ क्षेत्र में 600 से अधिक आर्द्रभूमि और जल निकाय थे, लेकिन उनमें से 60% से अधिक अब सूखे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है, 'यमुना बाढ़ क्षेत्र में यमुना से जुड़ी कई जल-तिजोरियों का संपर्क तटबंधों के कारण नदी से टूट गया।' समझना होगा कि अरावली से चल कर नजफगढ़ झील में मिलने वाली साहबी नदी और इस झील को यमुना से जोड़ने वाली नैसर्गिक नहर का नाला बनना हो या फिर सराय कालेखां के पास बारापुला या फिर साकेत में खिड़की गांव का सतपुला या फिर लोधी गार्डन की नहरें, असल में ये सभी यमुना में जब कभी क्षमता से अधिक पानी आ जाता था तो उसे जोहड़-तालाब में सहेजने का जरिया थीं। एनजीटी में इन सभी जल मार्गों को बचाने के मुकदमे चल रहे हैं लेकिन इन पर अतिक्रमण अनवरत जारी है। सो, न अब बरसात का पानी तालाब में जाता है, और न ही बरसात के दिनों में सड़कों पर जलजमाव रुक पाता है।

वैसे, एनजीटी 2015 में ही दिल्ली के यमुना तटों पर निर्माण पर पाबंदी लगा चुका है लेकिन इससे बेपरवाह सरकारें मान नहीं रहीं। अभी एक साल के भीतर ही लाख आपत्तियों के बावजूद सराय कालेखां के पास 'बांस घर' के नाम से केफेटेरिया और अन्य निर्माण हो गए। जान लें कि यदि दिल्ली को जलभराव से नहीं जूझना है तो यमुना अविरल बहे, उसकी गहराई और पाट बचे रहें, यही अनिवार्य है। यह बात कोई जटिल रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन बड़े ठेके, बड़े दावे, नदी से निकली जमीन पर और अधिक कब्जे का लोभ यमुना को जीवित रहने नहीं दे रहा। तैयार रहिए, भले ही अदालत डांटती रहे-अपनी संपदा यमुना को चोट पहुंचाने के चलते सावन-भादों में तो हर फुहार के साथ दिल्ली डूबेगी ही!

निष्काम मन | डॉ. ज्ञानानंददास स्वामी

ज्ञान वह प्रकाश है, जो अज्ञान के अंधकार को मिटा कर हमें साक्षात्कार की भूमिका में ले जाता है। किंतु विडंबना है कि यह ज्ञान-प्रकाश भी कामना से आवृत्त हो जाता है। 'कामना' अर्थात इच्छाओं का जाल, जो मनुष्य के विवेक, आत्मबोध पर एक प्रकार का आवरण डाल देता है। जैसे घने बादल सूर्य के प्रकाश को ढंक देते हैं, वैसे ही अनियंत्रित इच्छाएं आत्मा के ज्ञानरूपी प्रकाश को ढंक देती हैं। कामना का स्वभाव ही असंतोष है-वह वस्तु या परिस्थिति की पूर्ति से नहीं, बल्कि उसकी अनुपस्थिति से जन्म लेती है। जैसे अग्नि ईंधन से और अधिक भड़कती है, वैसे ही कामना पूर्ति से और अधिक तीव्र होती है। परिणामस्वरूप, यह मनुष्य को चित्तवृत्तियों के घेरे में बांध देती है और ज्ञान का सहज अनुभव मुंद जाता है। ज्ञान वह है जो वस्तुओं, घटनाओं और आत्मा के स्वभाव को यथार्थ रूप में देख सके। परंतु जब मन कामनाओं से भर जाता है, तब वह वस्तु को उसके रूप में नहीं देखता, बल्कि अपनी इच्छा के अनुरूप उसमें अर्थ आरोपित करता है। इस कामना को गीता में भगवान ने कभी न समाप्त होने वाली अग्नि और नित्य वैरी कहा है, जिससे हमारा ज्ञान आवृत्त हो जाता है। व्यक्ति का मन हर क्षण किसी न किसी आकांक्षा की पूर्ति में भटकता रहता है। यही भटकाव ज्ञान की प्रकटता में सबसे बड़ी बाधा बनता है। इसलिए महंत स्वामी महाराज समझाते हैं-'अध्यात्म का पहला और सबसे अनिवार्य साधन है-कामना का निरसन।' यह बाह्य दमन नहीं, बल्कि सम्यक आत्मदृष्टि का विकास है, जहां मनुष्य वस्तुओं को मोह से नहीं, आवश्यकता और आत्मिक मर्यादा के अनुरूप देखता है। इच्छाओं की लौकिकता छंटती है, तभी भीतर से ज्ञान का प्रकाश फूटता है। यह ज्ञान केवल बुद्धि से नहीं, अंतरात्मा की चेतना से आता है। वह तब संभव होता है जब व्यक्ति का चित्त निर्मल, कामनाहीन और शांत हो। तब ही ज्ञान न केवल बौद्धिक जानकारी रह जाता है, बल्कि अनुभव में परिवर्तित होकर मोक्ष का द्वार भी खोलता है। वस्तुतः ज्ञान केवल पठन-पाठन या विचार का विषय नहीं है, बल्कि वह एक अंतःप्रकाश है, जो तभी प्रकट होता है जब मानव का मन निष्काम होता है।

## रीडर्स मेल

### अंबेडकर के असली वारिस

वे स्वयं को संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों का असली उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। खुद को उनकी नीतियों और उद्देशिका का संरक्षक बताते हैं पर आपातकाल के दौरान जबरदस्ती संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन कर जब उसके उद्देश्य और मूल भावना को ही बदल दिया गया तो आज यदि उस संशोधन के औचित्य पर चर्चा और बहस मात्र को संविधान से छेड़छाड़ का आरोप लगा कर सड़कों पर उतरने की धमकी उन्हीं के द्वारा दी जा रही है। इस तरह वे उस कांग्रेस के साथ खड़े हो जाते हैं, जिसने न केवल डॉ. अंबेडकर को संसद तक न पहुंचने देने का हर वैध-अवैध जतन किया था, बल्कि उनके संविधान के उद्देश्य को ही बिना बहस बदल डाला। तो क्या ऐसे ही असली वारिस होते हैं?

**मनोज श्रीवास्तव, अमेठी**

### अनचाहे रिश्तों से छुटकारा

किसी एक दिन का अखबार उठाएं। उसमें हिंसा की जितनी भी घटनाएं छपी होती हैं, उनका विश्लेषण करने पर पाते हैं कि अधिकांश घटनाएं यौन हिंसा से जुड़ी होती हैं। पारिवारिक हिंसा में पहले पुरुषों का एकाधिपत्य होता था, स्त्रियां सिर्फ हिंसा का शिकार होती थीं। मगर अब यह समझ गड़बड़ा गई है। अपराध जगत से जुड़े कई मिथक टूटे हैं। आखिर, ऐसा क्यों? दरअसल, हमारे सामाजिक मूल्य बदल गए हैं। लड़कियों में मुखरता आई है, उन पर इच्छाएं थोपने का समय नहीं रहा। लेकिन हम उन्हें पुराने सामाजिक मूल्य और कानून से हांक रहे हैं। जिस समय हिन्दू कोड बिल आकार ले रहा था, विवाह सात जन्मों का पवित्र मूल्य की तरह बंधन था। अब यह बंधन मानने को कोई तैयार नहीं है। ऐसे में किसी हिन्दू पत्नी या पति के लिए तलाक हासिल करना समय-साध्य, खर्चीला और उबाऊ दुःस्वप्न की तरह है। परिणाम किसी एक भागीदार की हत्या के रूप में सामने आता है। इसलिए समय आ गया है कि अनचाहे रिश्तों से आसानी से छुटकारा पाने के बारे में सोचें, अगर बच्चे हैं तो परवरिश का इंतजाम होना चाहिए।

**मुकेश कुमार मनन, ई मेल से**

### व्यापार समझौते पर बातचीत

भारत का अमेरिका के साथ व्यापार समझौता उतना आसान नहीं जितना दोनों देशों के अधिकारियों के बयानों से लग रहा है। ट्रंप प्रशासन द्वारा निर्धारित 9 जुलाई की समय सीमा के ठीक पहले दिल्ली और वाशिंगटन के बीच अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की तैयारी चल रही हैं। भारतीय किसान पहले से मुसीबत में हैं। उस पर अगर अमेरिका से कृषि आयात को छूट मिल जाती है तो फिर यहां का किसान बेमौत मारा जाएगा। दिल्ली स्थित थिंकटैंक ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव का मानना है, 'अगले सात दिन तय कर सकते हैं कि भारत और अमेरिका सीमित 'मिनी-डील' के लिए समझौता करेंगे या बातचीत की मेज से हट जाएंगे।' बुनियादी कृषि उत्पादों के लिए भारतीय बाजार तक अमेरिका की पहुंच है। भारत को आर्थिक और राजनीतिक कारणों से अपने बुनियादी कृषि क्षेत्र की रक्षा करने की आवश्यकता होगी', ऐसे में अमेरिका का दबाव भारत कहां तक बर्दाश्त कर पाएगा? देखें आगे क्या होता है?

**जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर**

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
वर्ष-34, अंक 315
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया काजी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3, 4 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा 1209-1210, बारहवां तल, नक्षत्र हाउस, 21 के.जी. मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित।
। स्थानीय संपादक - रमेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 011-23352369, 011-23352372, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

हिन्दुस्तान 1936

# धर्मशाला से संदेश

चौदहवें दलाई लामा को अपना उत्तराधिकारी चुनना है और स्वाभाविक ही धर्मशाला से लेकर बीजिंग तक चर्चाएं तेज हैं। लोग उम्मीद कर रहे थे कि दलाई लामा उत्तराधिकारी की घोषणा करेंगे, पर उन्होंने यह साफ कर दिया कि उनके उत्तराधिकारी का चयन उनके निधन के बाद ही होगा। चयन स्थापित तिब्बती बौद्ध परंपरा के अनुसार होगा। इतना ही नहीं, दलाई लामा ने उत्तराधिकारी के चयन की जिम्मेदारी एक ट्रस्ट को सौंपी है। हालांकि, तय है, अगले दलाई लामा का चुना जाना आसान नहीं होगा और अभी से विवाद की स्थिति बनने लगी है। चीन ने कह दिया है कि अगला दलाई लामा चाहे जिसे चुना जाए, अंतिम मंजूरी चीन सरकार ही देगी। हालांकि, चीन की इस घोषणा को तिब्बती संगठनों ने गलत ठहराते हुए कह दिया है कि दलाई लामा के चयन में चीन सरकार की कोई भूमिका नहीं है। मतलब, धार्मिक मामले में अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक खींचतान तय है। दलाई लामा का पद ऐसा है, जिसका प्रभाव राजनीतिक और धार्मिक, दोनों ही स्तरों पर पड़ता है। इस सम्मानित पद को लेकर चीन पहले भी विवाद खड़े करता रहा है।

ध्यान देने की बात है कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बुधवार को 15वां तिब्बती धार्मिक सम्मेलन शुरू हुआ है, इस तीन दिवसीय आयोजन में भाग लेने के लिए अनेक देशों की हस्तियां आई हैं। तिब्बती बौद्ध मत के भविष्य पर भी चिंतन चल रहा है। ध्यान रहे, तिब्बती तिथि के हिसाब से 14वें दलाई लामा का जन्मदिन 30 जून का था, जबकि ग्रेगोरियन तारीख के हिसाब से उनका जन्मदिन 6 जुलाई को मनाया जाएगा। आने वाले कुछ दिनों में तिब्बती धर्मगुरु की खूब चर्चा होनी है। अपने वीडियो संदेश में भी दलाई लामा ने यही कहा है कि उत्तराधिकारी चयन में कोई अन्य व्यक्ति, संगठन या सरकार दखलअंदाजी नहीं कर सकती। उन्होंने यह भी दावा किया है कि उनकी मृत्यु के बाद उनका पुनर्जन्म होगा। चीन को पुनर्जन्म की बात से खास शिकायत नहीं है, पर वह अंतिम फैसले का हक अपने पास रखना चाहता है। चीन कभी नहीं चाहेगा कि तिब्बती धर्मगुरु के पद पर किसी ऐसे व्यक्ति का चयन हो जाए, जो तिब्बती जमीन पर नए सिरे से दावे करने लगे। वैसे चीन किसी भी दलाई लामा की सत्ता को मन से स्वीकार नहीं करेगा। उसने 14वें दलाई लामा, तेनजिन ग्यात्सो को भी कभी मन से स्वीकार नहीं किया है। साल 1959 में मात्र 23 की उम्र में तेनजिन ग्यात्सो भारत भाग आए थे, क्योंकि चीनी सैनिकों ने तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया था। दलाई लामा कोई भी बने, चीन में उसकी सलामती की गारंटी नहीं है। अतः भारत को इस मोर्चे पर संवेदनशील और तैयार रहना चाहिए।

**भावी दलाई लामा के चयन का मामला गंभीर होता जा रहा है। ऐसे में, चीन सहित सभी पक्षों को ज्यादा संवेदना और समझदारी का परिचय देना चाहिए।**

भारत के लिए यही सही है कि यह विवाद शांति से सुलझ जाए। यह भारत का ही प्रभाव है कि दलाई लामा का रुख चीन के प्रति भी नरम हुआ है और वह तिब्बत की स्वतंत्रता पर अब ज्यादा जोर नहीं देते हैं। भूलना नहीं चाहिए, जब वह तिब्बत की राजधानी ल्हासा से भागे थे, तब उनके कंधे पर एक बंदूक भी सुशोभित था, जिसे वह दशकों पहले उतार चुके हैं। आज सौम्यता के प्रतीक जो दलाई लामा हमारे साथ हैं, उन्हें नोबेल शांति सम्मान मिल चुका है और वह संसार में शांति-सद्भाव के उज्ज्वलतम हस्ताक्षर हैं। तिब्बतियों की सांस्कृतिक पहचान उनके नेतृत्व में संरक्षित और सुरक्षित रही है। यह पहचान आगे भी जीवंत रहे, इसके लिए भारत सरकार को भी समझदारी का परिचय देना चाहिए और चीन की सरकार को भी पूरी संवेदना के साथ पेश आना चाहिए।

## हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले 03 जुलाई, 1950

### अध्यापकों का शिक्षण

राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने गर्मियों की छुट्टियों में जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर में अध्यापकों को शिक्षण देने के लिए जो अल्पकालिक शिक्षण शिविर आयोजित किये थे, वे अब समाप्त हो गये हैं। हमारा उद्देश्य नये समाज का निर्माण करना है। हम आज की सामाजिक परिस्थितियों को जो हमारी जड़ता, अज्ञान और मिथ्या विश्वासों की सूचक हैं, जड़-मूल से बदल देना चाहते हैं। हम ऐसे नागरिक तैयार करना चाहते हैं, जिनका बौद्धिक स्तर किसी भी प्रगतिशील देश के नागरिक से नीचा न हो और जो अपने उत्तरदायित्व को भली-भांति निबाहने वाले हों। यह जड़-मूल से ठोस क्रांति करने की बात है और उसका सर्वश्रेष्ठ माध्यम शिक्षा ही हो सकता है।

मौजूदा शिक्षा के दोष किसी से छिपे नहीं हैं। उसका विकास विदेशी शासन की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से किया गया था और स्वतंत्र भारत की आकांक्षाओं और अभिलाषाओं को वह पूरा नहीं करती। उसमें आमूल परिवर्तन की आवश्यकता को स्वीकार कर लेने के बाद भी हमारा कदम उस दिशा में तेजी से नहीं बढ़ रहा है। ऐसी दशा में राजस्थान सरकार का अपने क्षेत्र में शिक्षा प्रणाली को बदलने का प्रयास स्वागत करने लायक है। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने जुलाई 1950 से मिडिल तक की शिक्षा का एक नया शिक्षाक्रम स्वीकार किया है। इस शिक्षाक्रम में सामान्य ज्ञान और समाजशास्त्र (इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र) को अनिवार्य रूप से स्थान दिया गया है और हाथ के काम को भी महत्व दिया गया है। सामान्य ज्ञान की विद्यार्थियों में कितनी कमी पाई जाती है, इसका एक दयनीय उदाहरण अभी हाल में प्रकाश में आया है। बात उत्तर प्रदेश से संबंध रखती है, किन्तु देश के दूसरे भागों के विद्यार्थियों में भी ऐसे अज्ञान के दर्शन किये जा सकते हैं। लखनऊ और फैजाबाद क्षेत्र में विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए यह प्रश्न पूछा गया था कि, महात्मा गांधी जीवित हैं अथवा नहीं। प्राथमिक पाठशालाओं के 75 प्रतिशत विद्यार्थियों ने और कुछ हायर सेकण्डरी स्कूल के विद्यार्थियों ने भी इस प्रश्न का यह उत्तर दिया था कि महात्मा गांधी जीवित हैं और दिल्ली में रहते हैं। इसलिए सामान्य ज्ञान की ओर ध्यान देने की आवश्यकता निर्विवाद है।

# चुनाव आयोग से कुछ सीधे सवाल

तेजस्वी प्रसाद यादव | नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधानसभा

**यदि मतदाता सूची में सुधार करना था, तो यह लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद और पूरे देश में समान रूप से किया जा सकता था। सिर्फ बिहार को क्यों निशाना बनाया गया?**

बिहार विधानसभा चुनावों से महज दो-तीन महीने पहले मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन की भारत निर्वाचन आयोग की कवायद न केवल संदेहास्पद, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की नींव पर सीधा हमला है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव इसी मतदाता सूची के आधार पर कराए गए। अब अगर वह सूची गलत थी, तो क्या उसी सूची के आधार पर बनी सरकार की वैधता पर सवाल नहीं उठता? यदि वास्तव में मतदाता सूची में कोई सुधार करना था, तो यह लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद और पूरे देश में समान रूप से किया जा सकता था। सिर्फ बिहार को क्यों 'टारगेट' किया गया?

जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 मतदाता सूची में नामों को शामिल करने और हटाने के लिए स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित करता है। यह सांप्रदायिक या अटकलबाजी के आधार पर 'विशेष' संशोधनों को अधिकृत नहीं करता है। इस अभ्यास के पीछे कोई वैज्ञानिक या तार्किक आधार नहीं दिया गया है। इसके बजाय, 'अवैध मतदाताओं' और 'सीमा पार से घुसपैठ' के अस्पष्ट व निराधार दावे किए गए हैं। अगर इन दावों में रत्ती भर का भी सच है, तो क्या चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय की इस मामले में अक्षमता और असफलता पर कोई सवाल उठाया है?

महाराष्ट्र में 2024 और दिल्ली में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले दक्षिणपंथी टिप्पणीकारों और शिक्षाविदों ने 'अवैध मतदाताओं' के बारे में निराधार चिंता जताते हुए संदिग्ध 'अध्ययन' किए। कोई आधिकारिक डाटा इन दावों का समर्थन नहीं करता। 'अवैध प्रवासियों' या 'फर्जी मतदाताओं' के नाम पर भय फैलाना कभी वैचारिक स्थिति हुआ करती थी- अब यह संस्थागत रूप से वंचित करने का एक साधन बन गया है। इस 'फ्रेमिंग' का उपयोग मतदाता सूचियों के आक्रामक व अपारदर्शी संशोधनों को सही ठहराने के लिए किया जाता है, जो असंगत रूप से मुस्लिम, दलित व गरीब प्रवासी समुदायों के मतदाताओं को अपना शिकार बनाते हैं।

डॉग व्हिसल राजनीति (विशिष्ट समूहों को लक्षित करने की रणनीति) से आधिकारिक कार्रवाई में बदलाव- खासकर चुनाव आयोग जैसी सांविधानिक संस्था द्वारा- हमारे जनतंत्र में एक खतरनाक मोड़ है। पैटर्न स्पष्ट है : मतदाता सूचियों में हेर-फेर करके व्यवस्थित रूप से दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों व गरीबों को बाहर रखना। अर्थशास्त्री अबुसालेह शरीफ द्वारा कर्नाटक में किए गए मतदाता सूची ऑडिट में पता चला कि लगभग 20 प्रतिशत वयस्क मुस्लिम मतदाता सूची से गायब थे। यह व्यवस्थागत बहिष्कार है।

ऐसा लगता है, राज्य मतदाता आधार को आकार देने के लिए नौकरशाही के औजारों का इस्तेमाल कर रहा है। लोकतंत्र न सिर्फ पिछड़ रहा है, बल्कि धीरे-धीरे खत्म भी हो रहा है। सत्ता के इस दुरुपयोग को बिना चुनौती के आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। चुनाव आयोग का आदेश है कि बिहार की संपूर्ण मतदाता सूची रद्द करते हुए प्रत्येक नागरिक को नए सिरे से आवेदन देना होगा। बिहार में आठ करोड़ योग्य मतदाताओं में से 59 प्रतिशत 40 वर्ष या उससे कम आयु के हैं। इसका अर्थ है, लगभग चार करोड़, 76 लाख लोगों को 31 दिनों में अपनी नागरिकता सिद्ध करनी होगी।

इन लोगों को तीन समूहों में बांटा जा सकता है- 19 लाख लोगों को अपनी नागरिकता के दस्तावेज देने होंगे, चार करोड़ से कुछ अधिक लोगों को अपने माता-पिता की नागरिकता के दस्तावेज और 50 लाख से अधिक युवाओं को अपने माता-पिता के नागरिकता संबंधी प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे। चुनाव आयोग द्वारा मान्य 11 दस्तावेजों की वास्तविक स्थिति चौंकाने वाली है। स्वयं भारत सरकार के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे (एनएफएचएस)-3 के अनुसार, 2001 से 2005 में जन्मे बच्चों में से केवल 2.8 प्रतिशत के पास जन्म प्रमाणपत्र था। एनएफएचएस-2 के मुताबिक, आज 40-60 वर्ष के पुरुषों में से केवल 10-13 फीसदी ने हाईस्कूल की पढ़ाई पूरी की है।

वहीं मानव विकास सर्वे के अनुसार, अनुसूचित जातियों के लगभग 20 प्रतिशत और अन्य पिछड़े वर्ग के करीब 25 फीसदी लोगों के पास ही जाति प्रमाणपत्र था। स्पष्ट है, अधिकांश लोगों के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है, जिससे उनकी जन्मतिथि और जन्म-स्थान सिद्ध हो सके। आधार कार्ड और मनरेगा कार्ड जैसे आम दस्तावेजों को वैध नहीं माना जा रहा है। एक तरफ, आधार कार्ड को वोटर लिस्ट से जोड़ने की कवायद हो रही है, वहीं इस पुनरीक्षण में आधार कार्ड को मान्य दस्तावेज नहीं माना जा रहा।

ये तमाम शर्तें असम में बदनाम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के सर्वेक्षण से अजीब समानता रखती हैं। असम जैसे डिटेंशन सेंटर, दिल्ली में घरों पर बुलडोजर और महाराष्ट्र से प्रवासी मजदूरों को बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के देश की सीमा के पार अनजान देश में धकेल देने जैसे घिनौने कृत्यों को अब बिहार में भी अंजाम देने के मनसूबे बनाए जा रहे हैं। 22 वर्षों बाद ऐसे अभूतपूर्व निर्णय के पीछे का राजनीतिक मकसद साफ दिखाई दे रहा है।

सबसे गंभीर बात। पिछली बार विशेष गहन पुनरीक्षण में लगभग दो साल का समय लगा था, अब मात्र एक महीने में इसे पूरा करने का दावा किया जा रहा है। यह न केवल अव्यावहारिक है, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया की गंभीरता पर सवाल खड़े करता है। मानसून के दौरान यह कवायद और भी कठिन है, क्योंकि बिहार का 73 फीसदी क्षेत्रफल बाढ़ प्रभावित है। ऐसी स्थिति में सरकारी कर्मचारी और लोग बाढ़ से जान-माल की रक्षा में व्यस्त होंगे, न कि दस्तावेजों के सत्यापन में। भारत सरकार के अनुसार, बिहार के 2 करोड़, 90 लाख पंजीकृत मजदूर राज्य से बाहर कार्यरत हैं। इन प्रवासी मजदूरों के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करना और भी कठिन होगा।

इसलिए विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर हमारी मुख्य मांगें हैं- सभी फॉर्मों व दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं की वैधता की समीक्षा की जाए। उन निर्वाचन क्षेत्रों में स्वतंत्र ऑडिट कराए जाएं, जहां बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम काटे या जोड़े गए हैं। साथ ही जोड़े या हटाए गए मतदाताओं के ब्योरे भी जारी किए जाएं। किसी चुनाव की वैधता वोट डाले जाने से पहले ही शुरू हो जाती है। यदि लोकतंत्र के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को बचाए रखना है, तो भाजपा के रुख का बचाव करने के बजाय चुनाव आयोग को अपनी इस कवायद का औचित्य साबित करना होगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

# ट्रंप के लिए गाजा से होकर गुजरेगी नोबेल की राह

सुरेंद्र कुमार | पूर्व राजदूत

जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार की अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं, शायद ही कभी नेल्सन मंडेला, दलाई लामा, रेव डेसमंड टूटू या प्रोफेसर वांगारी मथाई जैसी नामचीन हस्तियों ने यह सम्मान पाने के लिए ऐसा किया होगा। निस्संदेह, अपने इस दूसरे कार्यकाल के शुरुआती छह महीनों में ही उन्होंने कई संघर्ष खत्म करवाए हैं, पर वह यह नहीं समझते कि नोबेल समिति को शांति पुरस्कार ऐसे व्यक्ति को देने में मुश्किल होगी, जिसने एक संप्रभु राष्ट्र के परमाणु-स्थलों पर 30,000 पाउंड वजनी जीबीयू-57 बम गिराने की अनुमति दी हो, जो 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए बमों से भी अधिक विनाशकारी थे।

लिहाजा, यह उचित वक्त है कि नोबेल शांति पुरस्कार पाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप कुछ अलग तरीका अपनाएं। इसके लिए उन्हें बहुत दूर जाने की जरूरत भी नहीं होगी। राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात व इजरायली प्रधानमंत्री मेनाकेम बेगिन के बीच कैंप डेविड में मुलाकात और 17 सितंबर, 1978 को 12 दिनों की लंबी बातचीत के बाद कैंप डेविड समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके कारण दो कट्टर दुश्मन मुल्क- इजरायल व मिस्र के बीच पहली शांति संधि हुई। सादात और बेगिन, दोनों को इस ऐतिहासिक समझौते के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया। इसी तरह, वह राष्ट्रपति बिल क्लिंटन थे, जो 13 सितंबर, 1993 को इजरायल के प्रधानमंत्री यित्जाक राबिन और फलस्तीनी नेता यासिर अराफात के बीच हुए ओस्लो समझौता कराने में सफल रहे। राबिन और अराफात, दोनों शिमोन पेरेस के साथ 1994 में 'मध्य पूर्व में शांति स्थापित करने के प्रयासों के लिए' नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए गए।

**अमेरिकी राष्ट्रपति अगर फलस्तीन व इजरायल को दो देश के रूप में मान्यता दिलाने में सफल हो जाते हैं, तभी वह नोबेल के हकदार होंगे।**

इन दोनों मामलों में क्या समानता है? किसी भी पक्ष ने दूसरे को खत्म करने की कोशिश नहीं की। इसके उलट, गुस्से, नफरत और अविश्वास की गहरी खाई के बावजूद उन्होंने शांति, सहयोग और समृद्धि के लिए अपने दीर्घकालिक नजरिये को सामने रखा। इतना ही नहीं, ये बैठकें इसलिए भी सफल रहीं, क्योंकि दोनों पक्षों ने अमेरिकी राष्ट्रपति पर भरोसा किया और उन्होंने भी निष्पक्षता व ईमानदारी दिखाई। लिहाजा, ट्रंप के पास फलस्तीन और इजरायल में अमन-ओ-अमान लाने का मौका है। यदि वह सफल होते हैं, तो नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हो सकते हैं। मगर अमेरिकी दूतावास को येरुशलम में स्थानांतरित करने; सीरिया के गोलान हाइट्स पर इजरायल द्वारा कब्जा करने व बस्तियां बसाने; लेबनान, गाजा, पश्चिमी तट व सीरिया में इजरायली घुसपैठ की अनदेखी करने; और गाजा की मानवीय त्रासदी के प्रति उदासीन बने रहने के कारण उन्हें एक ईमानदार मध्यस्थ के तौर पर नहीं देखा जा सकता।

पश्चिम एशिया में इजरायल की सैन्य श्रेष्ठता किसी से छिपी नहीं है। मगर नेतन्याहू को समझना होगा कि फलस्तीन-इजरायल संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं है। 7 अक्तूबर, 2023 को हमास ने जो किया, वह गलत था, लेकिन 56,000 फलस्तीनियों को मारना और पूरे गाजा को मलबे में बदल देना क्या एक बड़ा गुनाह नहीं है? नेतन्याहू को यह एहसास नहीं है कि उनके हमलों से जो नफरत पैदा होगी, उसके कारण दस गुना अधिक कट्टरपंथी फलस्तीनी नौजवान उभरेंगे, जो आने वाले वर्षों में इजरायल पर आत्मघाती हमला कर सकते हैं।

नेतन्याहू दो राष्ट्र के समाधान का विरोध कर रहे हैं और ओस्लो समझौते को भी नहीं मान रहे। केवल ट्रंप ही उनको समझा सकते हैं। वह नेतन्याहू को बता सकते हैं कि इजरायल की दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए एक स्वतंत्र व संप्रभु फलस्तीन को स्वीकार करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। ट्रंप को अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए इजरायल को गाजा से हटने और हमास से सभी बंधकों को छोड़ने के लिए कहना चाहिए। ट्रंप को मिस्र, सऊदी अरब, ईरान, सीरिया, लेबनान, कतर और यूएई के विदेश मंत्रियों की मौजूदगी में इजरायल व फलस्तीन के नेताओं को कैंप डेविड बुलाना चाहिए और दो राष्ट्र के निर्माण पर सहमति बनानी चाहिए। अगर वह ये सब करते हैं, तो ऐसा करने वाले वह एकमात्र व्यक्ति होंगे, जिस कारण उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया जा सकता है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

## मनसा वाचा कर्मणा

# हमेशा खुश कैसे रहेंगे

ज्ञान किसी घटना में नहीं, घटनाओं के परे है, क्योंकि एक ही घटना को लेकर यदि तुम किसी नतीजे पर पहुंचते हो, तो वह जानकारी गलत होगी। यदि कोई क्रोध में आकर तेज चिल्लाता है, तो तुम सोचते हो कि यह उसका स्वभाव है, पर वास्तव में क्रोध कहीं और से आया है। केवल घटना के परे जाने पर ही सत्य प्रकाशित होता है। एक ही घटना पर आधारित विचार तुम्हें गलत निष्कर्ष पर पहुंचाते हैं। इसलिए, तुम्हें संपूर्ण घटनाओं पर विचार करना होगा। तभी जान सकोगे कि ज्ञान घटनाओं के परे है।

एक व्यक्ति क्या है? शरीर, मन और विभिन्न प्रकार के स्वभावों का मिश्रण, जो हर समय बदलता रहता है। प्रेम अपरिवर्तनशील है। व्यक्ति के परे प्रेम है। जब तुम अपने व्यक्तित्व से निकलकर आगे बढ़ते हो, तो प्रेम बन जाते हो। यदि तुम अपने को खो नहीं सकते, तो अपने को पा भी नहीं सकते! तो अपना व्यक्तित्व भुला दो और अपने आप को पा लो।

हर वस्तु के परे अनंतता है। एक वस्तु सीमित है। किसी भी वस्तु का यदि लगातार विघटन किया जाए, तो तुम्हें परमाणु मिलेगा और हर परमाणु में अनंत आकाश है, शून्य। वस्तु के परे अनंतता है। घटना, व्यक्तित्व और वस्तु में फंस जाना ही माया है। इन सब के परे जाना ज्ञान, प्रेम और ब्रह्म है। वस्तु के परे जो है, वह अनंतता है; व्यक्ति के परे व्यक्तित्व प्रेम है।

तुम हमेशा खुश कैसे रह सकते हो? 'हमेशा' को भूल जाओ, तभी तुम खुश रहोगे। हमेशा आराम की चाह व्यक्ति को आलसी बनाती है। हमेशा पूर्णता की चाह व्यक्ति को क्रोधित करती है। हमेशा अमीर रहने की चाह व्यक्ति को लालची बनाती है। भय तब आता है, जब हम यह नहीं समझते कि केवल 'जीवन' हमेशा बना रहता है। आत्मा हमेशा है- आत्मा के इस अनंत स्वभाव का अस्थायी संसार पर प्रक्षेपण ही माया है।

जब कोई चीज अत्यंत आनंदमय होती है, तुम अचंभा करते हो कि यह कहीं सपना तो नहीं। जिसे तुम वास्तविक समझते हो, प्रायः वह आनंदमय नहीं होता। इसीलिए, जब दुख होता है, तब तुम कभी नहीं सोचते कि शायद यह सपना है। तुम निश्चिंत हो कि यह सत्य है।

**घटना, व्यक्तित्व और वस्तु में फंस जाना ही माया है। इन सब के परे जाना ज्ञान, प्रेम और ब्रह्म है। वस्तु के परे जो है, वह अनंतता है; व्यक्ति के परे व्यक्तित्व प्रेम है।**

यह है वास्तविक को मिथ्या और मिथ्या को वास्तविक जानना। हकीकत में सभी दुख मिथ्या हैं। ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि खुशी वास्तविक है, क्योंकि यह तुम्हारा स्वभाव है। पीड़ा भ्रम है, क्योंकि यह स्मृति से आती है। जब तुम दोनों को स्वप्न की भांति देख सकते हो, तब तुम आत्म-स्थित होते हो। डरावना सपना है स्वप्न को सच समझना। स्वप्न में कोई भी उलझन नहीं होती। बस, यही आश्चर्य करते रहो कि क्या यह सब स्वप्न है, और तुम सत्य के प्रति जागृत हो जाओगे।

**श्री श्री रविशंकर**

कैलाश सत्यार्थी | नोबेल विजेता

**हमारे भीतर की करुणा कहीं सोई तो नहीं है? आइए, हम सब मिलकर अपने अंदर छिपी करुणा की चिनगारी को फिर से जलाएं और एक करुणामय, संवेदनशील और न्यायपूर्ण विश्व के निर्माण में अपना योगदान दें।**

## अनुलोम-विलोम

भाषा विवाद

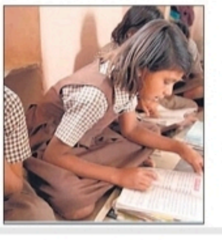

# हिंदी राष्ट्रीय गौरव, सबको पढ़नी चाहिए

नई शिक्षा नीति लागू होते ही त्रिभाषा का फॉर्मूला लागू हो गया और उसमें दो भाषाओं का विकल्प होने के कारण राजनीतिक पारा चढ़ गया। पूर्वी भारत से लेकर दक्षिण भारत तक यह लड़ाई शुरू हो गई। इसमें महाराष्ट्र के अंदर मराठी, अंग्रेजी और हिंदी को लेकर विवाद शुरू हो गए। कोई भी भारतीय नागरिक कोई भी भाषा पढ़ने और लिखने को स्वतंत्र है। संविधान लोगों को ऐसा अधिकार देता है, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत कुछ राज्य हिंदी भाषा को लेकर विवाद खड़ा कर रहे हैं। यहां तक कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना, राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गुट एक से अधिक भाषा के मुद्दे को राजनीतिक रूप दे रहे हैं। यह सब राजनीति का ही हिस्सा है, जबकि शिक्षा के मामले में किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। भाषा को लेकर सियासत का पारा कतई नहीं चढ़ना चाहिए। यह समझना होगा कि हिंदी एक ऐसी भाषा है, जो सबसे अधिक बोली जाती है। यह प्यार-प्रेम के पाठ पढ़ाती है। साहित्यकार, इतिहासकार, लेखक आदि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का मान और सम्मान बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ नेता राजनीतिक स्वार्थ के कारण हिंदी को निशाना बना रहे हैं। इस प्रकार भाषा के बहाने नई शिक्षा नीति पर विवाद पैदा किया जा रहा है। जब संयुक्त राष्ट्र तक में हिंदी में संबोधन हो चुका है और विदेशी जमीन पर हिंदी का कद लगातार बढ़ रहा है, तब अपने ही देश में इस पर विवाद खड़ा करना उचित नहीं। ऐसी गंदी राजनीति से हमें बचना चाहिए।

मीना धानिया, टिप्पणीकार

**हिंदी** देश व संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम है। किसी भी देश की उन्नति-प्रगति उसकी भाषा के प्रचार-प्रसार से ही संभव है। यहां तक कि अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की उन्नति-प्रगति भी हिंदी के विकास पर निर्भर है। हिंदी विश्व पटल पर अपना परचम लहराए इसके लिए हर भारतीय के मन में उसके प्रति समर्पण, प्रेम, सद्भाव और सम्मान का भाव होना जरूरी है। मगर दुखद है कि हिंदी के विकास में कुछ भारतीयों की संकीर्ण मानसिकता अधिक बाधक बनने लगी है। यह समझते हुए भी कि हिंदी सभी भाषाओं से तालमेल बिठाकर आगे बढ़ने में सक्षम है, हिंदी का नाम आते ही क्षेत्रीय भाषाओं के अधिकतर भाषी बिल्लियों सा झगड़ने लगते हैं। सभी भाषाएं सगी बहनें हैं। हिंदी को बड़ी बहन मानकर उसके प्रति अधिक उदार होने, सम्मान देने, समावेशी होने और दुराग्रह त्यागने की जरूरत है। तभी अन्य क्षेत्रीय भाषाएं भी विश्व पटल पर विकसित होंगी।

पुष्पलता, साहित्यकार

# कोई भाषा थोपने की प्रवृत्ति सही नहीं

मैंने कहीं पढ़ा था कि हमारा दिमाग किसी भाषा को सीखने के क्रम में एक बॉक्स का निर्माण करता है। उसमें उस भाषा के शब्द व शब्दों से वाक्य बनाने की प्रक्रिया जमा होती जाती है। जो व्यक्ति जितनी भाषाओं का जानकार होता है, उसके दिमाग में उतने ही बक्से बन जाते हैं और जरूरत के मुताबिक उनका वह इस्तेमाल करता रहता है। इस बक्से का निर्माण, यानी भाषा सीखने की प्रक्रिया आसान तो होती है, लेकिन मातृभाषा पर हमारा दिमाग ज्यादा जोर देता है। हिंदी को लेकर जो विरोध होता रहा है, उसकी वजह भी यही है।

दरअसल, स्थानीय भाषा में बच्चे कहीं जल्दी सीख-समझ लेते हैं। गैर-हिंदी प्रदेशों में हिंदी का आग्रह बच्चों की उलझनें बढ़ाने का काम करता है, इसलिए किसी भाषा को थोपने की मानसिकता से बचना ही उचित होगा। वैसे भी, दक्षिण भारत में या फिर महाराष्ट्र में ही, हिंदी को लेकर इतने विवाद खड़ा करना समझ से परे है। यह बेवजह हंगामा करने जैसा मामला है। अगर कोई राज्य अपने यहां हिंदी नहीं पढ़ाना चाहता, तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। उस पर बिना वजह दबाव क्यों डाला जा रहा है? अगर हिंदी इतनी ही अहम भाषा है, तो बच्चों को खुद ही तय करने दीजिए। कुछ खास लोग इसके लिए तनाव पैदा क्यों करने लग जाते हैं? इसके बजाय हमें अंग्रेजी पर ज्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि अव्वल तो यह एक वैश्विक भाषा है और फिर इसमें रोजगार की संभावना भी कहीं अधिक है। हिंदी के सामने अभी लंबा रास्ता है। इस रूप में भी हमें इस भाषा विवाद को देखना चाहिए।

उमा कुमारी, टिप्पणीकार

**आज** की दुनिया में ज्ञान-विज्ञान और अच्छी नौकरी के लिए अंग्रेजी में दक्ष होना जरूरी है, न कि हिंदी में। अंग्रेजी आज की एक बड़ी जरूरत है। यह एक वैश्विक भाषा है। इसका व्यापक ज्ञान न भी हो, लेकिन इतनी जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि आप कहीं भी फिट हो सकें। वैसे भी, जब बात कॉरपोरेट दुनिया की होती है, तब अंग्रेजी भाषा जरूरी हो जाती है। वैसे, एक बात यह भी ध्यान देने की है। हम चाहे जितनी भी भाषा सीख लें, उनके ज्ञान अर्जित कर लें, लेकिन हमारे अवचेतन मन में मातृभाषा ही होती है। हम सोचते हैं उसी भाषा में। तो, जब गैर-हिंदी प्रदेशों में हिंदी जबरिया पढ़ाई जाने की व्यवस्था की जा रही है, तब बच्चों में सीखने व समझने की जो नैसर्गिक क्षमता होती है, वह प्रभावित हो सकती है। इसका उस बच्चे के व्यक्तित्व-निर्माण पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। यहां विरोध हिंदी का नहीं, उसे जबरन पढ़ाने के तरीके का हो रहा है।

साकेत, टिप्पणीकार